


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2015/आश्विन 12, 1937

No. 359]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2015/ASVINA 12, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 अक्टूबर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/18/108/2015.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 64यूएम के साथ पठित धारा 114ए के खंड (x)(एक्स) और (xए)(एक्सए) उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा सभी लाइसेंस-प्राप्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंस-प्राप्त, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2000 का अधिक्रमण करेंगे।

2. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

- (ख) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का लाइसेंस अथवा उसका नवीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करता है;
- (ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "सहयोगी सदस्य" (असोसिएट मेम्बर) से ऐसा कोई लाइसेंसधारी सदस्य अभिप्रेत है जो कम से कम 8 वर्ष की अवधि के लिए लगातार वैध लाइसेंस धारण करता हो और विनियम 15(1)(i)(ख) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो;
- (ङ) "कारपोरेट सर्वेक्षक" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी अथवा एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) सहित भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन बनाया गया फ़र्म अभिप्रेत है जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस-प्राप्त हो;
- (च) "नामित व्यक्ति" से प्राधिकरण का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन उसको सौंपे गये कार्यों का निर्वाह करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया हो;
- (छ) "फ़ेलो सदस्य" से ऐसा कोई सहयोगी सदस्य (असोसिएट मेम्बर) अभिप्रेत है जो कम से कम 16 वर्ष की अवधि के लिए लगातार वैध लाइसेंस धारण करता हो और विनियम 15(1)(i)(ग) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो;
- (ज) "निरीक्षण प्राधिकारी" से सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कार्यों का निरीक्षण और जाँच-पड़ताल करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है/ हैं;
- (झ) "संस्थान" से आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एफ) के अधीन आईआरडीए द्वारा प्रवर्तित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान अभिप्रेत है;
- (ञ) "आईआरडीए अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;
- (ट) "लाइसेंसधारी सदस्य" (लाइसेंसिण्ट मेम्बर) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस धारण करता हो और विनियम 15(1)(i)(क) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो;
- (ठ) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है तथा इसमें छात्र सदस्य, लाइसेंसधारी सदस्य, सहयोगी सदस्य और फ़ेलो सदस्य शामिल हैं;
- (ड) "सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया हो;
- (ढ) "छात्र सदस्य" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो संस्थान का सदस्य है तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा करते हुए प्राधिकरण के पास एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में स्वयं का नामांकन करवाता है;
- (ण) "सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का सदस्यता स्तर" से इन विनियमों के विनियम 15 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सदस्य को संस्थान द्वारा आबंटित स्तर अभिप्रेत है;
- (त) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में, जैसी स्थिति हो, क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II
लाइसेंसकरण प्रक्रिया

3. वैयक्तिक सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और उससे संबंधित विषय

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो संस्थान का छात्र सदस्य है और साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करना चाहता है, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीएआई-1-एएफ** में लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) पात्रता मानदंड

i) अर्हताएँ :

- क) शैक्षिक / तकनीकी / व्यावसायिक / बीमा अर्हताएँ इन विनियमों की अनुसूची I, अनुबंध- में दी गई हैं।
- ख) अन्य योग्यता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में।
- ग) संस्थान का "सदस्य" होगा।

ii) प्रशिक्षण :

- क) विनियम 17(1) में विनिर्दिष्ट रूप में कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण
 - ख) ऐसा अन्य प्रशिक्षण जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- स्पष्टीकरण: कोई भी व्यक्ति जिसने उपर्युक्त (ii)(क) के अंतर्गत बताये गये अनुसार, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, ऐसा अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

iii) परीक्षा :

भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित सर्वेक्षक की परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र / प्रश्नपत्रों में उत्तीर्णता।

स्पष्टीकरण: ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की है, उपर्युक्त 3(2)(iii) में उल्लिखित परीक्षा देने से छूट दी गई है।

(3) संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज:

- क) **फार्म-आईआरडीएआई-1एएफ** में सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया आवेदन।
- ख) संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति, जिसमें छात्र सदस्यता की संख्या, जारी करने की तारीख आदि निर्दिष्ट हों।
- ग) हाल ही के पासपोर्ट फोटो की प्रति
- घ) पैन कार्ड की कॉपी
- ङ) पते का प्रमाण
- च) योग्यता का प्रमाण (नोटरीकृत)
- छ) प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाणपत्र की प्रति (मूल रूप में)
- ज) तिमाही रिपोर्टों की प्रति (चार तिमाहियाँ)
- झ) इन विनियमों के **विनियम 18** के अंतर्गत अपेक्षित रूप में सर्वेक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में अंक सूची की प्रति
- ञ) नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), यदि सेवारत हो (मूल रूप में)
- ट) **फार्म-आईआरडीएआई-1एएफ** की क्रम सं. 2 के अंतर्गत बताये गये रूप में शपथ-पत्र (आवेदन को ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत करने के समय इसे सॉफ्ट रूप में अपलोड किया जाए)
- ठ) न्यूनतम 40 रूपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का स्वयं का पता लिखा लिफाफा
- ड) माँग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी द्वारा किया गया हो

ढ) आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया गया हो
ण) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना
(च), (छ), (ज), (ठ), (ड) और (ढ) को छोड़कर अन्य दस्तावेज स्वयं अनुप्रमाणित किये जाएँगे)

(4) प्रकटीकरण:

i) यह कहते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में कोई भी परिवर्तन होने पर लाइसेंस सर्वेयर और हानि निर्धारक ऐसे परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण के पास ऐसा परिवर्तन होने के 15 दिन के अंदर फाइल करेगा/करेगी तथा आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीएआई-17-एएफ** में आवेदन प्रस्तुत करेगा/ करेगी। आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (मूल रूप में) अभ्यर्पित किया जाएगा।

ii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में लाइसेंस सर्वेयर और हानि निर्धारक ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(5) शुल्क का भुगतान – आवेदक **विनियम 5** में की गई व्यवस्था के अनुसार शुल्क का भुगतान आईआरडीएआई के नाम ऑनलाइन नेट बैंकिंग/आरटीजीएस / एनईएफटी/माँग ड्राफ्ट के माध्यम से करेगा और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(6) आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो – ऐसा कोई भी आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा आवेदन फार्म और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो, अस्वीकृत किया जाएगा। बशर्ते कि, ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी प्रकार से आवेदन को भरने और त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

(7) सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण – (1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि इस प्रकार अपेक्षित हो तो आवेदक अपने आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।

(8) आवेदन पर विचार – (1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए **विनियम 3(1)** के अधीन किये गये आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक एक उपयुक्त और योग्य व्यक्ति है।

(2) पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि :

क) आवेदक अधिनियम की धारा 42डी के साथ पठित धारा 64यूएम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा इन विनियमों के **विनियम 3** में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

ख) क्या आवेदक को सर्वेयर और हानि निर्धारक के रूप में लाइसेंस/ पंजीकरण प्रदान करने से प्राधिकरण द्वारा पिछले एक साल में कभी अस्वीकार किया गया है।

ग) क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;

घ) क्या आवेदक के पास विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं, उसने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

(9) लाइसेंस प्रदान करना: प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र है, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीएआई-2-एएफ** में लाइसेंस प्रदान करेगा जिसमें संस्थान द्वारा प्रदान की गई सदस्यता के स्तर, साधारण बीमा व्यवसाय की विशिष्ट श्रेणी/विभाग अथवा विषय अर्थात् अग्नि (फायर), मरीन कार्गो, मरीन हल, इंजीनियरिंग, मोटर, विविध, फसल बीमा तथा लाभ की हानि का उल्लेख किया जाएगा।

(10) लाइसेंस की वैधता: प्रदत्त लाइसेंस तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(11) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से निरस्त अथवा निलंबित किया गया हो, लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन ऐसे निरस्तीकरण अथवा निलंबन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत कर सकता है, तथा ऐसे आवेदन को एक नया आवेदन माना जायेगा और तदनुसार आवेदक **विनियम 3(2)** की सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

4. नया कारपोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित विषय

(1) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक इन विनियमों की **अनुसूची II** में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीएआई-3-एएफ** में आवेदन कर सकता है।

(2) **पात्रता मानदंड** – कंपनी / फर्म के निदेशक / भागीदार आवश्यक परिवर्तनों सहित इन विनियमों के **विनियम 3** में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे।

(3) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होगा कि प्रस्तुत किया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, अधिनियम की धारा 42डी के साथ पठित धारा 64यूएम की सभी लागू अपेक्षाओं को पूरा करता है।

बशर्ते कि कोई भी निदेशक अथवा भागीदार अधिनियम की धारा 42डी में उल्लिखित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त न हो।

(4) किसी भी समय कंपनी / फर्म के कम से कम दो निदेशक/ भागीदार, संस्थान के सदस्य होंगे तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस-प्राप्त होंगे। उनके वैयक्तिक सर्वेक्षक लाइसेंस के अंतर्गत निदेशक/ भागीदार की सदस्यता का विभाग और स्तर कंपनी/ फर्म का विभाग और सदस्यता का स्तर बनेगा। कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की अपेक्षा करनेवाली कंपनी/ फर्म के निदेशक/ भागीदार के रूप में नियुक्त कोई भी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक केवल आवेदक कंपनी/ फर्म के निदेशक/ भागीदार की हैसियत से ही सर्वेक्षण कार्य करेगा और सर्वेक्षक रिपोर्टें जारी करेगा।

(5) **संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज:**

- क) सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया **फार्म-आईआरडीएआई-3- एएफ** में आवेदन।
- ख) सदस्यता संख्या, जारी करने की तारीख आदि निर्दिष्ट करते हुए निदेशकों/ भागीदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति।
- ग) निदेशकों/ भागीदारों के हाल के फोटो की एक प्रति।
- घ) निदेशकों/ भागीदारों के सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति।
- ङ) कंपनी के मामले में आरओसी द्वारा जारी किये गये निगमन प्रमाणपत्र की प्रति।
- च) फर्म के मामले में सभी भागीदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित भागीदारी विलेख की प्रति।
- छ) कंपनी के संबंध में संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति।
- ज) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म सं. डीआईआर-12 की प्रति।
- झ) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म सं. आईएनसी-22/23 की प्रति।
- ञ) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 20बी/ फार्म एसएच7, जैसी स्थिति हो, की प्रति।
- ट) टीएएन की प्रति।
- ठ) निदेशकों/ भागीदारों की योग्यता का प्रमाण।
- ड) निदेशकों/ भागीदारों की पैन कार्ड की कॉपी और पते का प्रमाण।
- ढ) इस बात के सहित कि क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को लाइसेंस/ पंजीकरण प्रदान करने से प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अस्वीकार किया गया है, **फार्म-आईआरडीएआई-3-एएफ की क्रम सं. 2** के अंतर्गत बताये गये रूप में शपथ-पत्र।
- ण) निदेशकों/ भागीदारों द्वारा दिया गया योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण।
- त) न्यूनतम 40 रूपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा।
- थ) माँग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी द्वारा किया गया हो।

- द) आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीए/ एनईएफटी द्वारा किया गया हो।
 घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना।
 (क्रम संख्या (घ) से (ड) तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरीकृत होंगी)

(6) प्रकटीकरण:

- क) यह कहते हुए एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि आवेदक कंपनी/फर्म में कार्यग्रहण करने से पहले वैयक्तिक सर्वेक्षक उन्हें सौंपे गये सभी कार्य आईआरडीए के (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के अंतर्गत व्यवस्थित समय-सीमाओं के अंदर पूरे करेंगे तथा कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्रदान करने के बाद ऐसे सर्वेक्षक आगे से केवल कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस के अधीन ही कार्य करेंगे।
- ख) यह कहते हुए एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि निदेशक/ भागीदार प्राधिकरण को निदेशक/ भागीदार के त्यागपत्र/ मृत्यु/ निलंबन, शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रस्तुत करेंगे एवं आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसा परिवर्तन होने से 15 दिन के अंदर इन विनियमों की अनुसूची-II में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीएआई-18-एएफ में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने के समय कंपनी/ फर्म को प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (मूल रूप में) अभ्यर्पित किया जाएगा।
- ग) यह अपेक्षित है कि उन सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का विवरण प्रस्तुत किया जाए जो कंपनी/ फर्म की ओर से सर्वेक्षण कार्य करने के लिए फर्म/ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय/ शाखा कार्यालयों में नियोजित हैं।
- घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली ऐसी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएँ।
- (7) **शुल्क का भुगतान – विनियम 5** के अंतर्गत व्यवस्थित रूप में शुल्क का भुगतान आईआरडीए के नाम ऑनलाइन नेट बैंकिंग/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ माँग ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा तथा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) **आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो** – कोई भी आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा आवेदन फार्म और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो, अस्वीकृत किया जाएगा।
 बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी प्रकार से आवेदन पूरा करने और त्रुटियाँ, यदि कोई हों, सुधारने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।
- (9) **सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण** – (1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (10) यदि इस प्रकार अपेक्षित हो तो आवेदक अपने आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।
- (11) **आवेदन पर विचार** - (1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए **विनियम 4(1)** के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।
- (12) पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि :
- क) आवेदक अधिनियम की धारा 42डी के साथ पठित धारा 64यूएम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा इन विनियमों के **विनियम 4(2), 4(3) और 4(4)** में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;
- ख) कोई भी निदेशक अथवा भागीदार अधिनियम की धारा 42डी में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त नहीं है;

- ग) क्या आवेदक को लाइसेंस / पंजीकरण प्रदान करने से प्राधिकरण द्वारा पिछले एक साल में कभी अस्वीकार किया गया है।
- घ) क्या कंपनी/फर्म के निदेशक/ भागीदार इन विनियमों की **अनुसूची-I, अनुबंध 2** में दिये गये विवरण के आधार पर योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) हैं;
- ङ) कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण करना होगा;
- च) कंपनी अथवा फर्म के नाम में शब्द "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" शामिल होंगे;
- छ) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संविभाग निवेशकों सहित किसी विदेशी निवेशक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की कुल धारिताएँ प्रकट की जाएँगी, जो समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में होंगी;
- ज) आवेदक के उसी प्रवर्तक/अभिदाता के पास एक से अधिक कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस नहीं होगा। "प्रवर्तक/ अभिदाता" "कंपनी अधिनियम, 2013" में परिभाषित रूप में होगा;
- झ) क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा अतीत में लाइसेंस/ पंजीकरण प्रदान करने से अस्वीकार किया गया है;

स्पष्टीकरण:- इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" का आशय किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में आवेदक की सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह विशेष की कंपनी से है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों का अर्थ वही होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में इनके लिए निर्धारित किया गया है।

(13) लाइसेंस प्रदान करना: प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र है, इन विनियमों की **अनुसूची-II** में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीएआई-4-एलएफ** में लाइसेंस प्रदान करेगा जिसमें कारपोरेट सर्वेक्षक के विभाग और सदस्यता के स्तर का उल्लेख किया जाएगा।

(14) लाइसेंस की वैधता:- प्रदान किया गया लाइसेंस तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(15) लाइसेंस की शर्तें –

- क) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्रदान किये जाने पर कंपनी/ फर्म केवल उसी विभाग में और सदस्यता के उसी स्तर के सर्वेक्षण कार्य कर सकता है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस में प्रत्येक निदेशक/ भागीदार के समक्ष दर्शाया गया हो।
- ख) एक कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का कोई भी निदेशक अथवा भागीदार किसी अन्य कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कंपनी/ फर्म में निदेशक अथवा भागीदार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- ग) लाइसेंसप्राप्त व्यक्तिगत सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो कंपनी/ फर्म के कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, केवल उसी कंपनी/ फर्म के सर्वेक्षण कार्य करेंगे जिनके पास वे नियोजित हैं। कर्मचारी केवल उसी विभाग और सदस्यता स्तर के सर्वेक्षण कार्य करेगा जो उसके वैयक्तिक लाइसेंस के अंतर्गत उसको आबंटित किया गया है।
- घ) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक अथवा कंपनी/ फर्म उचित संख्या में सर्वेक्षण कार्य करेगा जो उनके संसाधनों और उनके द्वारा नियोजित लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों की संख्या के अनुरूप हों।
- ङ) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कंपनी/ फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थित अभिलेखों सहित, अभिलेखों का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में करेगा जिसके अंतर्गत दावा-वार और लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक-वार विवरण निहित होगा जिसमें कंपनी/ फर्म द्वारा सर्वेक्षण किये गये प्रत्येक दावे को कंपनी/ फर्म में लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक के साथ संबद्ध (टैग) किया जाएगा। कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कंपनी/ फर्म ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करेगा जो प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभिलेखों और विवरणों तक पहुँच को सुसाध्य बनाएँगी।

5. शुल्क की संरचना :- सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए नये आवेदकों द्वारा प्राधिकरण को देय शुल्क एक हजार रुपये और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में लागू सेवा कर होगा।

6. नवीकरण लाइसेंस (वैयक्तिक/ कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित विषय:

(1) नवीकरण के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति सहित सर्वेक्षक लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास उसकी वैधता की अवधि समाप्त होने के कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए,

क) फार्म-आईआरडीएआई-5-एएफ में (व्यक्तियों के लिए)

ख) फार्म-आईआरडीएआई-6-एएफ में (कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के लिए) इन विनियमों की **अनुसूची-II** में दिये गये रूप में, एक सौ रुपये के नवीकरण शुल्क और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में लागू सेवा कर के साथ।

बशर्ते कि प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपये के अर्थदंड का भुगतान करने पर उक्त लाइसेंस की समाप्ति के छह महीने के अंदर किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जिस लाइसेंस का इस प्रकार नवीकरण नहीं किया जाता, वह समाप्त हो जाता है। तथापि, ऐसे सर्वेक्षक से प्राप्त आवेदन, जिसके लाइसेंस की विद्यमानता समाप्त हो गई हो, नये आवेदन के रूप में माना जा सकता है और उस पर **विनियम 3** और **विनियम 4** के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है तथा ऐसे आवेदक को प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये लाइसेंस में सदस्यता का लाइसेंसधारी (लाइसेंशिप्ट) स्तर आबंटित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में सभी अपेक्षाओं का, विशेष रूप से विनियमों के **अध्याय II** में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन किया है, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है।

(3) प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज

I. व्यक्ति के मामले में :

- क)** सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया **फार्म-आईआरडीएआई-5-एएफ** में आवेदन।
- ख)** हाल ही के फोटो की एक प्रति
- ग)** पैन कार्ड की कॉपी
- घ)** पते का प्रमाण
- ङ)** योग्यता का प्रमाण (नोटरीकृत)
- च)** नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), यदि नियोजित हो (मूल रूप में)
- छ)** **फार्म-आईआरडीएआई-12** में कार्य निष्पादन (पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड किया जाना चाहिए)
- ज)** **फार्म-आईआरडीएआई-5-एएफ** की **क्रम संख्या 2** के अंतर्गत बताये गये रूप में शपथ-पत्र
- झ)** संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति।
- ञ)** न्यूनतम 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
- ट)** माँग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी द्वारा किया गया हो
- ठ)** आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा किया गया हो
- ड)** समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई भी अन्य दस्तावेज/ सूचना
(क्रम संख्या **(ग) से (झ)** तक के दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरीकृत होंगी)
- ढ)** यदि एकमात्र स्वामित्व के लिए आवेदन किया जा रहा हो, तो स्थानीय प्राधिकारियों के पास एकमात्र स्वामी के पंजीकरण का प्रमाण (नोटरीकृत)

II. कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के मामले में:

- क)** सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया **फार्म-आईआरडीएआई-6-एएफ** में आवेदन।
- ख)** निदेशकों / भागीदारों के हाल ही के फोटो की प्रति

- ग) निदेशकों/ भागीदारों के सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति और संस्थान में उनकी सदस्यता का विवरण
- घ) कंपनी के मामले में आरओसी द्वारा जारी किये गये निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- ङ) सभी भागीदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित फर्म के मामले में भागीदारी विलेख की प्रति
- च) कंपनी से संबंधित संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति
- छ) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म सं. डीआईआर-12 की प्रति
- ज) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म सं. आईएनसी-22/23 की प्रति
- झ) आरओसी के पास दाखिल किये गये फार्म 20बी/ फार्म एसएच7, जैसी स्थिति हो, की प्रति
- ञ) टीएएन की प्रति
- ट) निदेशकों/ भागीदारों की योग्यता का प्रमाण
- ठ) निदेशकों/ भागीदारों की पैन कार्ड की कॉपी और पते का प्रमाण।
- ड) **फार्म-आईआरडीएआई-6-एएफ की क्रम सं. 4** के अंतर्गत बताये गये रूप में शपथ-पत्र
- ढ) न्यूनतम 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
- ण) कंपनी/ फर्म का कार्य निष्पादन (पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड किया जाना चाहिए)
- त) माँग ड्राफ्ट, यदि भुगतान डीडी द्वारा किया गया हो
- थ) आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा किया गया हो
- द) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना
- ध) **अनुसूची-I, अनुबंध 2** में विनिर्दिष्ट रूप में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) का विवरण

[क्रम सं. (ग) से (ड) तक के दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरीकृत होंगी]

(4) इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति के समय लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई, **विनियम 3 और 4** में निर्धारित पात्रता मानदंडों सहित, वर्तमान पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

(5) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र है, उसका नवीकरण इन विनियमों की **अनुसूची-II** में दिये गये फार्मेट में

क) एकमात्र स्वामी सहित, व्यक्तियों के मामले में **फार्म-आईआरडीएआई-7-एलएफ** में करेगा।

ख) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के मामले में **फार्म-आईआरडीएआई-8-एलएफ** में करेगा।

(6) इस प्रकार नवीकरण किया गया लाइसेंस नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि उसके पहले उसे निरस्त नहीं किया गया हो।

7. क्रियाविधि जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकृत किया गया हो:

(1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है:

क) यदि अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप न हो तथा आवेदक उक्त उपबंधों का पालन नहीं करता हो

ख) यदि प्राधिकरण की राय में लाइसेंस प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में नहीं है।

बशर्ते कि ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया गया हो, वहाँ प्राप्त किये गये लागू शुल्क के **60%** की वापसी आवेदक को की जाएगी।

(3) **उपर्युक्त** (1) के अंतर्गत बताये गये रूप में आवेदन की अस्वीकृति की सूचना आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर उसके अस्वीकृत किये जाने के लिए कारण बताते हुए दी जाएगी।

(4) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को एक अपील, ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा **उपर्युक्त उप-विनियम (1)** के अधीन दिये गये आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर कर सकता है।

8. क्रियाविधि जहाँ लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत किया गया हो:

(1) प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है, यदि आवेदक:

क) ऐसा वक्तव्य देता है जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण में असत्य है।

ख) यदि आवेदक अधिनियम की धारा 64यूएम के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 42डी के अंतर्गत दी गई अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त है।

बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसी अस्वीकृति से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा।

(2) **उप-विनियम (1)** में उल्लिखित लाइसेंस की अस्वीकृति ऐसी अस्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगी तथा उसके बाद कोई भी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उस समय किये जा रहे कार्यों सहित, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण का कोई भी कार्य नहीं करेगा। ऐसे सभी लंबित कार्य उसके द्वारा बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, को लौटाये जाएँगे।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को एक अपील, ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा **उपर्युक्त उप-विनियम (1)** के अंतर्गत दिये गये आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर कर सकता है।

(4) जिस सर्वेक्षक के लाइसेंस का नवीकरण किसी भी कारण से अस्वीकृत किया गया हो, वह लाइसेंस के निर्गम के लिए आवेदन ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे आवेदन को नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में माना जाएगा तथा तदनुसार आवेदक **विनियम 3** अथवा **विनियम 4**, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

9. लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लाइसेंस जारी किया गया है अथवा उसका नवीकरण किया गया है, यदि ऐसा लाइसेंस खो जाता है, नष्ट किया जाता है अथवा कटा-फटा है, तो उसकी अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए अनुरोध करते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के साथ प्राधिकरण को इन विनियमों की **अनुसूची II** में दिये गये **फार्म-आईआरडीआई-9-एएफ** में आवेदन करेगा।

(2) **उल्लिखित उप-विनियम (1)** आवेदन में लाइसेंस का पूरा विवरण निहित होगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि उसका खो जाना, नष्ट किया जाना अथवा कटा-फटा होना कैसे घटित हुआ है, तथा उक्त आवेदन के साथ आवेदन करनेवाले व्यक्ति के कब्जे में विद्यमान कटे-फटे लाइसेंस के टुकड़े, यदि कोई हों, प्रस्तुत किये जाएँगे।

(3) प्राधिकरण, उपर्युक्त से संतुष्ट होने पर, इन विनियमों की **अनुसूची-II** में दिये गये रूप में **फार्म-आईआरडीआई-10-एलएफ** में लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है।

(4) इस प्रकार जारी किये गये लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस) लाइसेंस की विधिमान्यता की शेष अवधि के लिए प्रचलित होगी, जब तक कि उससे पहले उसे निरस्त नहीं किया जाता हो, तथा उक्त अनुलिपि पर एक पृष्ठांकन रहेगा कि यह एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) है।

अध्याय III**सर्वेक्षक और हानि निर्धारक समिति का गठन और उसके कार्य****10. गठन**

(1) प्राधिकरण बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित विषयों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए "सर्वेक्षक और हानि निर्धारक समिति" (इन विनियमों में इसके बाद "समिति" के रूप में उल्लिखित) कहलानेवाली एक समिति का गठन करेगा।

(2) उक्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं:-

- (i) प्राधिकरण का एक अधिकारी;
- (ii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के दो प्रतिनिधि;
- (iii) सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि;
- (iv) पॉलिसीधारकों का एक प्रतिनिधि।

(3) उक्त समिति की कार्यावधि तीन वर्ष की होगी तथा इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण का एक अधिकारी करेगा।

11. समिति के कार्य:-

(1) उक्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

- (i) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों के लिए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की सिफारिश करना;
- (ii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए विदेशी अर्हताओं और प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए प्राधिकरण के विचारार्थ प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (iii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय की हैसियत और स्तर को सुधारना और विकसित करना;
- (iv) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय के उद्देश्यों के समान ही पूर्णतः अथवा अंशतः अपने उद्देश्य रखनेवाली शैक्षणिक अथवा अन्य संस्थाओं के साथ ऐसे तरीके से जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहायक हो, समन्वय करना;
- (v) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा व्यावसायिक कदाचार, अनुशासनहीनता, आचरण-संहिता का पालन न करने के मामलों में जाँच-पड़ताल करना;
- (vi) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य करना।

(2) समिति की बैठकें अपने कार्य संचालित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार बारंबार आयोजित की जा सकती हैं।

(3) प्राधिकरण के अधिकारी को छोड़कर, समिति के अन्य सदस्य समय-समय पर प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित किये जानेवाले भत्तों के लिए हकदार होंगे।

12. सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की नियुक्ति (1) कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कंपनी **विनियम 3** अथवा **विनियम 4**, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करेगा/ करेगी।

(2) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निम्नलिखित के संबंध में किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि का निर्धारण करने के लिए बीमाकर्ताओं अथवा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किये जाएँगे।

- i) मोटर बीमा - पचास हजार रुपये से अधिक
- ii) मोटर बीमा को छोड़कर अन्य - एक लाख रुपये से अधिक

(3) उपर्युक्त सीमा की समीक्षा हर तीन वर्ष में की जाएगी।

(4) हानि के निर्धारण के लिए सर्वेक्षक की ऐसी नियुक्ति बीमाकर्ता को हानि की घटना ज्ञात होने के समय से 72 घंटे के अंदर की जाएगी। ऐसी नियुक्ति की सूचना बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, को लिखित में भेजी जाएगी और वह दावा निपटान प्रक्रिया का भाग बनेगी।

(5) कोई भी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक केवल उन्हीं विभागों की हानियों का निर्धारण करेगा जो उसके लाइसेंस में विनिर्दिष्ट हैं।

अध्याय IV

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व

13. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कार्य समय के अधिकांश भाग के अंतर्गत किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाली हानियों (चाहे बीमाकृत हों अथवा नहीं) की जाँच-पड़ताल, प्रबंध, परिमाण-निर्धारण, प्रमाणीकरण और निपटारा करेगा तथा तत्संबंधी रिपोर्ट देगा एवं ऐसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्रत्याशित आचरण-संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य को सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के साथ संपन्न करेगा।

(1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे:-

(i) यह घोषित करना कि क्या प्रश्नगत विषय-वस्तु में उसका कोई हित है अथवा क्या वह उसके किसी संबंधी, व्यावसायिक भागीदार अथवा महत्वपूर्ण शेयरधारिता से संबंधित है;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'संबंधी' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) में परिभाषित रूप में कोई संबंधी अभिप्रेत होगा;

(ii) लाइसेंस के निर्गम के समय प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, जिसका संबंध प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये लाइसेंस से हो, के घटित होने की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण की जानकारी में लाना;

(iii) बीमाकर्ता की देयता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के दावे को जोखिम में डाले बिना गोपनीयता और तटस्थता बनाये रखना;

(iv) हानि उठा रही प्रश्नगत संपत्ति का निरीक्षण और पुनःनिरीक्षण आयोजित करना;

(v) हानि की सीमा, स्वामित्व के स्वरूप और बीमायोग्य हित सहित, प्रश्नगत हानि के लिए कारणों और परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल, पूछताछ, अन्वेषण, सत्यापन और परीक्षण करना;

(vi) जब भी आवश्यक हो तब स्थान पर और अंतिम सर्वेक्षण आयोजित करना तथा विशेषाधिकार (फ्रैंचाइज), अधिक/कम बीमा और किसी अन्य संबंधित विषय पर टिप्पणी करना;

(vii) हानि के अधीन जो विषय है उसके संबंध में अनुमान, मापन, परिमाण-निर्धारण और वर्णन करना;

(viii) जहाँ भी संभव हो, आगे और हानियों से बचने के लिए हानि न्यूनीकरण, हानि नियंत्रण, सुरक्षा और बचाव के उपायों के बारे में बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करना;

(ix) हानि की स्वीकार्यता एवं पॉलिसी की संविदा के अंतर्गत वारंटी की शर्तों के पालन के संबंध में अभिमत व्यक्त करना;

(x) बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति की ओर से हानि का सर्वेक्षण और निर्धारण करना

(xi) बीमा संविदा के अंतर्गत देयता का निर्धारण करना;

(xii) पॉलिसी की अभिव्यक्तियों में विसंगति, यदि कोई हो, बताना;

(xiii) दावे / हानि के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति/ बीमाकर्ता और उससे संबंधित व्यक्तियों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना;

(xiv) मूल्यहास की प्रयोज्यता, मूल्यहास के प्रतिशत और मात्रा की सिफारिश करना;

(xv) यदि दावा पॉलिसी की शर्तों के द्वारा समाविष्ट नहीं हो तो दावे के अस्वीकरण के लिए कारण बताना;

(xvi) जहाँ भी अपेक्षित हो वहाँ विशेषज्ञ की राय लेना;

(xvii) जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ अवशिष्ट और उसके निपटान के संबंध में अभिमत देना।

- (2) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक चाहे बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त हो अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा, अपनी रिपोर्ट बीमाकर्ता को यथाशीघ्र, परंतु अपनी नियुक्ति से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा तथा उसके साथ बीमाकृत व्यक्ति को दी गई अपनी रिपोर्ट की एक प्रति उस पर हानि के निर्धारण के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति की सहमति अथवा अन्य प्रकार की राय पर अपनी टिप्पणी देते हुए प्रस्तुत करेगा। जहाँ मामले की विशेष परिस्थितियों में उसके विशेष और जटिल स्वरूप के कारण आवश्यक हो, वहाँ सर्वेक्षक बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करते हुए अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए बीमाकर्ता से किसी भी स्थिति में छह महीने से अनधिक सीमा तक समय में वृद्धि की अपेक्षा करेगा।
- (3) उन स्थितियों में जहाँ सर्वेक्षण रिपोर्ट दस्तावेजों के पूरे न होने के कारण लंबित है, सर्वेक्षक बीमाकृत व्यक्ति को लिखित में कम से कम तीन स्मरण-पत्र देते हुए अभिलेखों के अंतर्गत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर सकता है।
- (4) यदि कोई बीमाकर्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद पाता है कि वह किसी भी प्रकार से अधूरी है, तो वह बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करते हुए सर्वेक्षक से अपेक्षा करेगा कि बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षित किये जानेवाले ऐसे अधूरे मुद्दों पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रकार का अनुरोध बीमाकर्ता द्वारा मूल सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर किया जा सकता है। बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट माँगने की सुविधा का सहारा एक दावे के मामले में एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा।
- (5) सर्वेक्षक इस सूचना की प्राप्ति पर बीमाकर्ता से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय V

सर्वेक्षकों का वर्गीकरण

14. (1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का वर्गीकरण संस्थान द्वारा आबंटित सदस्यता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। संस्थान में सदस्यता के तीन स्तर अर्थात् लाइसेंसधारी, सहयोगी और फ़ेलो, संस्थान के अंतर्नियमों में यथापरिभाषित रूप में होंगे।
- (2) प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, चाहे कंपनी हो अथवा फर्म अथवा व्यक्ति, संस्थान द्वारा आबंटित और लाइसेंस में विनिर्दिष्ट सदस्यता के स्तर के अनुसार सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।

15. संस्थान के कार्य

- (1) संस्थान समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले किन्हीं अन्य मानदंडों सहित, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया जानेवाला वैध लाइसेंस प्रदान करने के लिए, सदस्यता के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर पात्र व्यक्ति को उपयुक्त सदस्यता प्रदान करेगा।

i) सदस्यता

(क) **लाइसेंसधारी सदस्य:** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस धारण करता है, तथा **विनियम 15(1)(ii)** में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है।

(ख) **सहयोगी सदस्य:** ऐसा कोई भी लाइसेंसधारी सदस्य जो कम से कम 8 वर्ष की अवधि के लिए लगातार वैध लाइसेंस धारण करता है तथा **विनियम 15(1)(ii)** में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है।

(ग) **फ़ेलो सदस्य:** ऐसा कोई भी सह-सदस्य जो कम से कम 16 वर्ष की अवधि के लिए वैध लाइसेंस धारण करता है तथा **विनियम 15(1)(ii)** में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है।

बशर्ते कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये वैध लाइसेंस को धारण करनेवाले किसी भी व्यक्ति को संस्थान द्वारा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में निरंतर पिछली सेवा के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्तर की सदस्यता दी जा सकती है।

ii) प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ :

- (क) संस्थान सभी सदस्यों के लिए भारत में प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करेगा तथा प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता के स्तर का उन्नयन (अपग्रेड) करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण, परीक्षाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं में नीचे निदिष्ट रूप में सहभागिता करेगा:
- (ख) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाले आवेदन के लिए विनियम 15 में निर्धारित रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि के अतिरिक्त, संस्थान नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम अवधि के लिए उनकी सदस्यता के स्तर के अनुरूप ऐसा प्रशिक्षण देगा तथा प्रत्येक सदस्य यह प्रशिक्षण प्राप्त करेगा:

लाइसेंसधारी - 100 घंटे

सहयोगी - 50 घंटे

फेलो - 25 घंटे

- (ग) संस्थान अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य संस्थान सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करेगा तथा प्रत्येक सदस्य नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम संख्या में ऐसे सेमिनारों और कार्यशालाओं में उपस्थित होगा:

लाइसेंसधारी - 5

सहयोगी - 8

फेलो - 10

बशर्ते कि संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ प्राधिकरण द्वारा पूर्व अनुमोदित हैं

बशर्ते कि सभी वर्तमान लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान के सदस्य बनेंगे तथा संस्थान द्वारा आबंटित की जानेवाली सदस्यता का स्तर निर्दिष्ट करते हुए आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आगे यह भी शर्त होगी कि किसी सदस्यता का कोई विशिष्ट स्तर प्रदान करने के बावजूद, निरंतर वर्षों की कुल संख्या की गणना सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में प्रथम लाइसेंस प्रदान करने के समय से की जाएगी।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि ऐसे सदस्यों से यह अपेक्षित होगा कि वे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली समय-सीमा के अंदर सदस्यता के वर्तमान स्तरों को अपग्रेड करने के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सेमिनारों और कार्यशालाओं संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें।

(2) यदि संस्थान सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को छात्र सदस्यता सहित किसी भी रूप में सदस्यता देने से अस्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

(3) प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसकी प्राप्ति से छह सप्ताह के अंदर उसपर अपना निर्णय उस व्यक्ति और संस्थान को लिखित में सूचित करेगा जो दोनों पर बाध्यकारी होगा।

(4) यदि संस्थान प्राधिकरण के निर्णय का पालन नहीं करता, तो प्राधिकरण तब संस्थान की सदस्यता साथ में न होने के बावजूद मामले के गुण-दोष के आधार पर आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।

(5) संस्थान के कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त दिशानिर्देश, निदेश अथवा ऐसी अन्य सूचना जारी कर सकता है।

अध्याय VI**आचरण-संहिता****16. प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक -**

(1) व्यावसायिक कामकाज में नैतिकता और न्यायनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा। न्यायनिष्ठा के अंतर्गत केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि उचित संबंध और सत्यनिष्ठा भी निहित हैं;

(2) व्यावसायिक और कारोबारी निर्णय में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा;

- (3) निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा, जब किसी बीमाकर्ता के अनुदेशों पर उस बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में कार्य कर रहा हो;
- (4) अपने कार्य के दौरान वह जिन लोगों के संपर्क में आता है, उन सबके साथ शिष्टता और सम्मान के साथ आचरण करेगा;
- (5) उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य स्वीकार अथवा निष्पादित नहीं करेगा जिनके लिए वह लाइसेंस धारित नहीं करता;
- (6) ऐसा कार्य स्वीकार अथवा निष्पादित नहीं करेगा, जिसे करने के लिए वह सक्षम नहीं है, जब तक कि वह ऐसी सलाह और सहायता प्राप्त नहीं करता जो उसको उक्त कार्य करने के लिए सक्षम बनाये;
- (7) अपना व्यावसायिक कार्य उचित सावधानी, दायित्व कौशल और उससे प्रत्याशित किये जानेवाले तकनीकी और व्यावसायिक मानकों के प्रति समुचित ध्यान के साथ करेगा;
- (8) अपने व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित सभी गतिविधियों के साथ अपने ज्ञान को अद्यतन रखेगा;
- (9) हर समय अपने द्वारा किये गये कार्य का उचित अभिलेख रखेगा तथा सभी संबंधित विधियों का पालन करेगा;
- (10) अपने सहयोगियों को व्यावसायिक अर्हताएँ प्राप्त करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन देगा तथा इस प्रयोजन के लिए बारह महीने की अवधि के लिए निःशुल्क आर्टिकलशिप और/या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा;
- (11) केवल बीमा व्यवसाय में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में ही कार्य करेगा तथा कोई व्यावसायिक सलाहकारी अथवा परामर्शक सेवा या कार्य नहीं करेगा जिससे हितों का संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना हो;
- (12) प्राधिकरण के आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों द्वारा अनुमति-प्राप्त कार्यकलापों को छोड़कर कोई भी अन्य आउटसोर्सिंग कार्य नहीं करेगा;
- (13) सर्वेक्षण कार्य का रजिस्टर रखेगा जैसा **फार्म-आईआरडीएआई-11** में निर्दिष्ट किया है जिसमें संबंधित सूचना निहित होगी, जैसे, बीमाकृत व्यक्ति का व्योरा, बीमाकर्ता, पॉलिसी संख्या, सर्वेक्षण कार्य आंबंठित करने की तारीख, सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख, दावों की निर्धारित राशि, इस प्रकार के शुल्क का विवरण; तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों, फोटोग्राफों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तीन वर्ष की अवधि के लिए रखेगा एवं इन्हें और अन्य विनिर्दिष्ट विवरणियों को प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी अन्वेषण प्राधिकारी अथवा बीमाकर्ता द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। तथापि, उपर्युक्त सूचना/अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटोग्राफों आदि से संबद्ध मुकदमे की स्थिति में इन्हें मुकदमे के समापन तक रखा जाएगा;
- (14) सर्वेक्षण कार्य करने के लिए प्राप्त शुल्क अथवा पारिश्रमिक के संबंध में प्राप्त की गई समस्त धनराशियों की प्राप्ति-सूचनाएँ देगा;
- (15) संबंधित सभी पक्षकारों को अपनी नियुक्ति प्रकट करेगा, जहाँ ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति अथवा निरंतरता द्वारा किसी हितबद्ध पक्षकार के हितों को अधिक मात्रा में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अधिक मात्रा में प्रभावित करना दर्शनीय हो। जैसे ही हितों के संघर्ष का अनुमान किया जाता है, प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तत्काल सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करेगा और अपनी निरंतरता के लिए अनुदेशों की अपेक्षा करेगा;
- (16) अपने व्यावसायिक कार्य के दौरान प्राप्त किसी भी ग्राहक अथवा नियोजक अथवा पॉलिसीधारक से संबंधित कोई सूचना प्रकट नहीं करेगा;
- (17) अपने व्यावसायिक कार्य के दौरान अपने द्वारा अधिगृहीत अथवा प्राप्त की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अपने वैयक्तिक लाभ के लिए अथवा किसी अन्य पक्षकार के लाभ के लिए न तो उपयोग करेगा और न ही उपयोग करने का आभास देगा;
- (18) किसी कंपनी/ फर्म में सर्वेक्षण कार्य केवल एक कर्मचारी/ निदेशक/ भागीदार के रूप में ही करेगा;
- (19) प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो किसी बीमाकर्ता का कर्मचारी है, केवल हानि का ही सर्वेक्षण और निर्धारण करेगा और दावे के निपटान से संबद्ध नहीं होगा;
- (20) एओए, समय-समय पर संस्थान द्वारा बनाये गये विनियमों और नीति-संहिता के उपबंधों का पालन करेगा;

(21) अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आदेशों, निदेशों और दिशानिर्देशों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

अध्याय VII

प्रशिक्षणार्थी आवेदक

17.(1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाला छात्र सदस्य इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये अनुसार **फार्म-आईआरडीएआई-14** में अपने प्रशिक्षक से प्रशिक्षण देने के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये अनुसार **फार्म-आईआरडीएआई-13** में प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा और नामांकन करवाएगा तथा नीचे विनिर्दिष्ट किये अनुसार एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के पास बारह महीने से अन्यून अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा:

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक आवेदक जो संस्थान का छात्र सदस्य है और प्रशिक्षणार्थी के रूप में नामांकित है, संस्थान द्वारा निर्धारित तथा प्राधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित आचरण-संहिता और नीति-संहिता का पालन करेगा तथा उनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- i) नैतिकतापूर्वक और सत्यनिष्ठता के साथ व्यवहार करेगा। सत्यनिष्ठता में केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यवहार और सत्यशीलता अंतर्निहित हैं।
- ii) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस धारण किये बिना कोई भी सर्वेक्षण कार्य स्वीकार/ निष्पादित/ प्रारंभ नहीं करेगा तथा कोई भी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करेगा।
- iii) हर समय प्रशिक्षक सर्वेक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रशिक्षण के विवरण का उचित अभिलेख रखेगा, तथा
- iv) किसी भी एजेंसी द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई किसी भी कार्यवाही अथवा लंबित अथवा कार्यान्वित की गई जाँच-पड़ताल से संबंधित समस्त सूचना तथा उसके परिणाम का विवरण प्रकट करेगा।
- v) प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा चुकी सूचना में कोई भी परिवर्तन 15 दिन के अंदर दाखिल करेगा।
- vi) समय-समय पर संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी अन्य अनुदेश का पालन करेगा।

(3) सर्वेक्षक जिसके अधीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किया जाएगा, संस्थान का सह-सदस्य अथवा फेलो सदस्य होगा।

(4) प्रशिक्षणार्थी उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का तिमाही अभिलेख **फार्म-आईआरडीएआई-15** में रखेगा तथा उसे उस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्रमाणित करवाएगा जिसके अधीन उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और **फार्म-आईआरडीएआई-16** में प्रमाणपत्र **विनियम 3** के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

(5) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को प्रदान किया जानेवाला लाइसेंस उस विशिष्ट क्षेत्र में होगा जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है।

(6) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले से लाइसेंस प्रदान किया गया कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उस श्रेणी को छोड़कर जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, अन्य साधारण बीमा व्यवसाय के किसी विभाग में सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो वह उस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया फेलो अथवा सह-सदस्य का लाइसेंस धारण करनेवाले सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के अधीन छह महीने से अन्यून अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(7) प्राधिकरण के पास प्रशिक्षणार्थियों के रूप में जो पहले से नामांकित हैं, वे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए **विनियम 3** में निर्धारित मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, संस्थान के छात्र सदस्य बनेंगे।

18. प्राधिकरण **विनियम 3** के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऊपर निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने पर आवेदक द्वारा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त भी निर्धारित कर सकता है। उक्त परीक्षा या तो संस्थान द्वारा या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा आयोजित की जा सकती है।

अध्याय VIII**विविध****19. लाइसेंसप्राप्त बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का रजिस्टर**

(1) संस्थान सभी लाइसेंसप्राप्त बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा:-

- (i) पूरा नाम, जन्म तिथि, मूल अधिवास स्थान, निवासीय और व्यावसायिक पता;
- (ii) रजिस्टर में नाम दर्ज करने की तारीख;
- (iii) लाइसेंस संख्या और वैधता की अवधि;
- (iv) व्यावसायिक और अन्य योग्यताएँ;
- (v) सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्र जिन्हें करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है;
- (vi) संस्थान में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की सदस्यता का स्तर;
- (vii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जानेवाला कोई अन्य विवरण।

बशर्ते कि कारपोरेट सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के मामले में उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जानेवाला विवरण प्रत्येक निदेशक अथवा भागीदार, जैसी स्थिति हो, के संदर्भ में होगा।

(2) संस्थान समय-समय पर उन सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का विवरण हटा देगा जो जीवित नहीं हैं अथवा जिनका लाइसेंस निरस्त किया गया है।

(3) प्राधिकरण उक्त रजिस्टर में दर्ज किये गये ऐसे संगत विवरण का प्रकाशन, जो वह उपयुक्त समझता है, उसके द्वारा उचित समझे जानेवाले अंतरालों पर और उचित समझे जानेवाले तरीके से करवा सकता है।

20. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण -

प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक -

- (क) प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा तब ऐसा दस्तावेज, विवरण, लेखा, विवरणी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो प्राधिकरण समय-समय पर इस उद्देश्य से जारी कर सकता है; तथा
- (ख) इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये **फार्म-आईआरडीएआई-12** में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (ग) प्रत्येक कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

21. बीमाकर्ताओं द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण: -

प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित का प्रस्तुतीकरण करेगा:

- i) सर्वेक्षकों की नियुक्ति, सर्वेक्षकों के उपयोग और लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों को सर्वेक्षण कार्यों के आबंटन के लिए अनुसरण की जानेवाली पद्धति के संबंध में कंपनी द्वारा बनाई गई नीति की एक प्रति वार्षिक रूप से प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।
- ii) **उप-विनियम (1)** के अंतर्गत बताये गये रूप में प्रस्तुत नीति में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो तो ऐसे परिवर्तन को 15 दिन के अंदर उसके लिए कारणों सहित प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।
- iii) रोजगार नियमों के अंतर्गत कर्मचारी सर्वेक्षकों पर यदि कोई कार्रवाई की गई हो तो उसके साथ, लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों के कदाचार के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- iv) सूचित किये गये दावों की संख्या, आंतरिक/वैयक्तिक/ कारपोरेट सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण किये गये दावों की संख्या, निपटाये गये दावों की संख्या, भुगतान की गई राशि, बकाया दावों की संख्या, संबद्ध राशियाँ, बकाया दावों के लिए कारण, दावों का निपटान करने में लगा समय, दावा निपटान अनुपात का विवरण देते हुए छमाही रिपोर्ट। यह रिपोर्ट राज्य-वार, सर्वेक्षक-वार, राशि-वार अथवा उपयुक्त समझे गये किसी अन्य मानदंड के अनुसार बनाई जा सकती है तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है।

22. निरीक्षण

(1) प्राधिकरण सर्वेक्षण कार्य, बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने अथवा किसी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के विरुद्ध प्राप्त किसी वास्तविक शिकायत की जाँच-पड़ताल करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(2) निरीक्षण प्राधिकारी प्राधिकरण को यथाशीघ्र एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना निरीक्षण/जाँच-पड़ताल करने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराएगा तथा उसके कार्य के संचालन को सुसाध्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

(4) प्राधिकरण निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निरीक्षण प्राधिकारी के निष्कर्ष सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को सूचित करेगा तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

23. लाइसेंस का निलंबन:

1) प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (वैयक्तिक/ कारपोरेट) को प्रदान किये गये लाइसेंस को निलंबित करेगा, यदि वह:

- (i) अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह सतोषजनक और व्यावसायिक तरीके से नहीं करता; अथवा
- (ii) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन करता है अथवा
- (iii) उसने लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसका नवीकरण करने के लिए पात्रता के संबंध में अथवा उसके या उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्यकलाप में अथवा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में उससे संबद्ध किसी भी मामले में महत्वपूर्ण विवरण में ऐसा वक्तव्य दिया है जो असत्य है अथवा उसने ऐसे लाइसेंस के निर्गम अथवा नवीकरण के बाद अधिनियम की धारा 42डी के अंतर्गत दी गई कोई भी अनर्हता प्राप्त की है।
- (iv) उसने अधिनियम, अथवा आईआरडीए अधिनियम, अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम, अथवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निदेश का उल्लंघन किया है।
- (v) अपने दायित्वों के निर्वाह में लापरवाह रहा है।
- (vi) किसी न्यायालय द्वारा उसे कैद की सजा दी गई है।

बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसे निलंबन से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा।

2) प्राधिकरण लाइसेंस को उस स्थिति में भी निलंबित कर सकता है यदि महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर उसकी राय में ऐसे लाइसेंस को जारी रखना पॉलिसीधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तथा ऐसी स्थिति में वैयक्तिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता।

3) प्राधिकरण कारपोरेट सर्वेक्षक के निदेशक/ भागीदार के वैयक्तिक लाइसेंस के निरस्तीकरण के अतिरिक्त, **उप-विनियम 1 और 2** में बताये गये रूप में किये गये किसी भी कार्य के लिए कारपोरेट सर्वेक्षक के लाइसेंस को भी निलंबित कर सकता है, यदि वह उसके किसी एक भागीदार/ निदेशक द्वारा किया गया हो।

4) लाइसेंस का निलंबन ऐसी अवधि के लिए होगा जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है तथा वह निलंबन के आदेश की तारीख से तब तक प्रभावी होगा जब तक निरस्त नहीं किया जाता।

5) निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे लाइसेंस का धारक उस समय किये जा रहे सर्वेक्षण कार्यों सहित, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण का कोई भी कार्य नहीं करेगा तथा ऐसे सभी लंबित कार्य बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, को लौटा देगा।

24. लाइसेंस का निरस्तीकरण

1. जहाँ यह पाया जाता है कि कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक अधिनियम की धारा 42डी में उल्लिखित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा उसने जानबूझकर अधिनियम अथवा आईआरडीए अधिनियम, अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम के किसी भी उपबंध अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश अथवा निदेश अथवा अनुदेश का उल्लंघन किया है, वहाँ प्राधिकरण उसके लाइसेंस को ऐसी तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, निरस्त कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण निरस्तीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा।

आगे यह भी शर्त होगी कि इस उप-विनियम में प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियाँ अधिनियम की धारा 64यूएम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना हैं।

2. प्राधिकरण लाइसेंस का निरस्तीकरण उस स्थिति में भी कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसे लाइसेंस को जारी रखना पॉलिसीधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकेगा।
3. सर्वेक्षक जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से निरस्त किया गया हो, लाइसेंस के निर्गम के लिए आवेदन ऐसे निरस्तीकरण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत कर सकता है, तथा ऐसे आवेदन को नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा, और तदनुसार आवेदक **विनियम 3 अथवा विनियम 4**, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

25. लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के लिए प्रक्रिया:

1. **विनियम 24(1)** के अधीन, लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, जिसका लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जाना प्रस्तावित है, को लाइसेंस का निलंबन अथवा निरस्तीकरण करने से पहले अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिया जा सकता है।
2. निलंबन का आदेश प्राप्त होने पर लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निलंबन का प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है। प्राधिकरण एक अधिकारी को नामित कर सकता है जो उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसा आदेश अथवा ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा, जिसकी सूचना निलंबित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को दी जाएगी।
3. यदि नामित व्यक्ति के आदेश के आधार पर प्राधिकरण निलंबन के आदेश का प्रतिसंहरण करता है तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के लाइसेंस को पुनःप्रचलित करता है, तो वह उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जब से उक्त पुनःप्रचलन लागू होगा।
4. प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता है जहाँ सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निलंबन के आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता।
5. निलंबन, रद्द या लाइसेंस के निरस्तीकरण का कोई आदेश अथवा उसके आदेश का प्रतिसंहरण बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक बीमाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

26. स्पष्ट करने का अधिकार

इन विनियमों में से किसी भी विनियम के संबंध में किसी शंका अथवा अस्पष्टता की स्थिति में उसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया जाएगा।

27. अस्थायी उपबंध

इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के संबंध में माना जाएगा कि वह इन विनियमों के अनुसार जारी किया गया है।

बशर्ते कि वे सभी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो अधिनियम की धारा 64यूएम की उप-धारा 1 के उप-खंड (क) और (ख) में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर उक्त अपेक्षाओं को पूरा करें। तथा ऐसा न करने पर वे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप अनर्ह (डिस्क्वालिफाई) हो जाएंगे।

अनुसूची-

अनुबंध-1

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के नामांकन और लाइसेंसिकरण के लिए योग्यता मानदंड (विनियम 3)

क्रम सं.	विभाग	शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक/बीमा योग्यताएँ
1.	फायर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए., ए.आई.आई.आई./ एफआईआईआई/ आईआईआरएम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा
2.	मरीन कार्गो	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग)/नौ-संरचना/मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का

		प्रमाणपत्र अथवा प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि/, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान/ए.आई.आई.आई./एफ.आई.आई.आई. की नौ-रचना में उपाधि अथवा डिप्लोमा/आई.आई.आर.एम. से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3.	मरीन हल	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग/नौ-संरचना)/किसी मान्यताप्राप्त प्राधिकारण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र अथवा प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि
4.	इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष, किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष योग्यता
5.	मोटर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई. अथवा उसकी समकक्ष (मेकानिकल/ऑटोमोबाइल); मेकानिकल इंजीनियरिंग/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष योग्यता;
6.	विविध	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.आई.एम.आई.ई.अथवा उसकी समकक्ष; किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष; सी.ए./ आई.सी.डब्ल्यू.ए.; ए.आई.आई.आई./एफ.आई.आई.आई./आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
7.	एलओपी	सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.; ए.आई.आई.आई./एफ.आई.आई.आई.
8.	फसल बीमा*	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में बी.एससी.

*फसल बीमा के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा का विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।

टिप्पणी:

- नामांकन और लाइसेंसिंग हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के बाद और नियमित छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्थान की उपाधि (डिग्री) अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुका होना चाहिए।
- उपर्युक्त सभी तकनीकी उपाधि (डिग्री)/डिप्लोमा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्था से प्राप्त किये जाएंगे।

अनुसूची।

अनुबंध-2

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड (विनियम 4)

- आवेदक प्राधिकरण को इस बात के लिए संतुष्ट करेगा कि -

- वह सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है
- कारपोरेट सर्वेक्षक के निदेशक/भागीदार अपने पद संभालने के लिए योग्य और उपयुक्त हैं
- उसके सभी महत्वपूर्ण शेयरधारक/ प्रवर्तक/ भागीदार योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;

2. कारपोरेट सर्वेक्षकों के निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों के लिए घोषणा और वचन-पत्र

- कारपोरेट सर्वेक्षकों के सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों की 'योग्य और उपयुक्त' स्थिति तय करने के लिए उचित सावधानी बरतने के प्रयोजन के लिए निर्धारित 'घोषणा और वचन-पत्र' नीचे दिया गया है। अब से सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस और/या उसका नवीकरण प्रदान करने के प्रयोजन हेतु घोषणा और वचन-पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिये गये फार्मेट का प्रयोग करेंगे।

2) प्रत्येक वैयक्तिक आवेदक द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

सर्वेक्षक (कारपोरेट सर्वेक्षक) का नाम :		
I.	वैयक्तिक विवरण	
	क.	पूरा नाम
	ख.	सर्वेक्षक संस्था में स्थिति
	ग.	जन्मतिथि
	घ.	शैक्षिक अर्हताएँ
	ङ.	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव
	च.	स्थायी पता
	छ.	वर्तमान पता
	ज.	ई-मेल पता/ टेलीफोन संख्या
	झ.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैना तथा आयकर मंडल का नाम और पता
	ञ.	पते का प्रमाण
	ट.	बीमे में संबंधित ज्ञान और अनुभव
ठ.	स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II.	संबंधित योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड	
	यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है; तो कृपया पूरा विवरण दें।	
	क.	क्या आपने कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिज़र्व बैंक, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, एफएमसी आदि जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत हैं अथवा लाइसेंस प्राप्त किया है
	ख.	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अलावा किसी अन्य नाम से कारोबार किया है
	ग.	क्या आपको कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके लिए कानून के अंतर्गत विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य प्राधिकार अपेक्षित है, करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी अस्वीकार अथवा प्रतिबंधित किया गया है
	घ.	क्या कभी आपको कोई व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा अनुशासित अथवा निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस या पंजीकरण देने से इनकार किया गया है
	ङ.	क्या आप कभी किसी जॉच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई चेतावनी या फटकार दी गई है
	च.	क्या कभी आपको किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्यवाही के अधीन रहे हैं
	छ.	क्या कभी आपको किसी भी समय किसी व्यवसाय / पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है
	ज.	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि में परिणत अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो
झ.	आपके विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
ञ.	क्या आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त हैं?	

ट.	क्या आप सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आदेश पर किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
ठ.	क्या कभी आप सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाये गये हैं, यदि हाँ तो विवरण दें।	
ड.	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीएआई, डीसीए जैसे विनियमनकर्ता की सूचना में प्रतिकूल रूप से आये हैं। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस स्तंभ में विनियमनकर्ताओं द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों अथवा निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया हो / रद्द किया गया हो, तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इस प्रकार उलट देना / रद्द करना गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की परिसीमा अथवा उसके अभाव जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो। यदि विनियमनकर्ता का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है तथा अपीलीय / अदालती कार्यवाही अनिर्णीत है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
ढ.	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है	
ण.	मद I और II के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना तथा योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) का निर्णय करने के लिए सुसंगत समझी गई कोई अन्य जानकारी	
III.	वचन-पत्र	
	मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए मेरे लाइसेंस के निर्गम के बाद घटित होनेवाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र प्राधिकरण को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित हों।	
	स्थान :	हस्ताक्षर
	दिनांक :	नाम

अनुसूची II**आवेदन फार्म और लाइसेंसिकरण फार्मेट****फार्म – आईआरडीएआई – 1 – एएफ****[विनियम 3(1) देखें]****सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन(वैयक्तिक)**

नये लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन www.irdabap.org.in पर ही स्वीकार किया जाता है

आवेदक से अपेक्षित है कि वह नये लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले प्रशिक्षण के लिए नामांकन करवाए और व्यावसायिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण करे।

नामांकन के लिए www.irdabap.org.in पर जाएँ।

जाँच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- आईआईआईएसएलए द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना **(अनिवार्य)** "विवरण www.iiisla.co.in पर उपलब्ध है"
- आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।

- 3) नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित डिग्री / डिप्लोमा की स्कैन की हुई कॉपी संलग्न संलग्न करना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 2 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (एफिडविट) की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 5) प्रश्न सं. 4, 8, 9, 10 और 11 के प्रत्युत्तर में साक्ष्यांकित और स्कैन किये हुए दस्तावेज संलग्न करना। इन प्रश्नों के लिए उत्तर देना अनिवार्य है।
- 6) आवेदन फार्म के साथ हाल में लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 7) आवेदन की वास्तविक (फिजिकल) प्रतियाँ, अपलोड किये गये दस्तावेज और 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त अपना पता लिखा हुआ 4.5"x10" आकार का लिफाफा आईआरडीएआई को भेजना। लाइसेंस प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य हैं।
- 8) निर्धारित फार्मेट में **विनियम 3** में उल्लिखित रूप में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण संलग्न करना।

टिप्पणियाँ : **विनियम 3** के साथ पढ़ें

1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी चूक के लिए जुर्माना एक लाख रुपये प्रत्येक दिन या एक करोड़ रुपये, जो भी कम होगा।
2. एक व्यक्ति केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे किसी बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
3. आवेदन में प्रश्नों के लिए उत्तर में किये गये किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) किये जाने चाहिए।
4. आवेदक को अनिवार्यतः आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को कम से कम 18 (अठारह) वर्ष की आयु का होना चाहिए। आवेदक द्वारा 18 वर्ष को होने की घोषणा करने की स्थिति में जन्म के वर्ष में आनेवाली वास्तविक जन्मतिथि आवेदन की मद 6 के समक्ष दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आवेदक आयु के लिए सबूत प्रस्तुत करेगा।
5. आवेदन फार्म सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आवेदक को एक सूचना भेजी जाएगी।
6. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन अनिवार्यतः प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।
7. चूँकि लाइसेंस द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया जाता है, अतः आवेदक यह निर्दिष्ट करे कि वह अपना नाम हिन्दी में कैसे लिखता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि नाम और पता दोनों लिखे जाएँ।

फार्म – आईआरडीएआई – 1 – एएफ

1. मैं, संस्थान का/की छात्र सदस्य, अनुरोध करता हूँ/ करती हूँ कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए मुझे निम्नलिखित वर्ग/ विभाग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए।

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
टिक लगाएँ								

छात्र सदस्यता का विवरण... (संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र और पहचान-पत्र की सॉफ्ट प्रति अपलोड करनी होगी)

2. मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ/ करती हूँ कि
 - i) मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया हूँ/ नहीं पायी गई हूँ।

- ii) मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जालसाजी अथवा ऐसा कोई भी अपराध करने के लिए अवप्रेरित करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया हूँ/ नहीं पायी गई हूँ।
- iii) मैं किसी भी धोखाधड़ी/ बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने का दोषी नहीं पाया गया हूँ/ नहीं पायी गई हूँ।
- iv) मैं प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करूँगा/ नहीं करूँगी।
- v) प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण मेरे पास है।
- vi) मैंने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ/ करती हूँ कि नीचे दिया गया विवरण सही है:

क. पूरा नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)(अंग्रेजी और हिन्दी में).....

ख. पिता/ पति का नाम

ग. वर्तमान पता [अंग्रेजी और हिन्दी में]

पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/कस्बा/गाँव

जिला

राज्य

पिनकोड

घ. स्थायी पता

पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/कस्बा/गाँव

जिला

राज्य

देश पिनकोड

4. योग्यता

क) शैक्षिक/व्यावसायिक

ख) बीमा

ग) प्राप्त प्रशिक्षण

(उपर्युक्त सभी का स्वरूप एवं अवधि दर्शाएँ)

5. संपर्क

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

6. जन्मतिथि
7. एकल स्वामी (यदि लागू हो तो नाम बताएँ)
8. व्यावहारिक प्रशिक्षण का विवरण (कृपया सर्वेक्षक/ सर्वेक्षण फर्म से प्राप्त प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें)

सर्वेक्षक/ कारपोरेट सर्वेक्षक का नाम	सर्वेक्षक/ कारपोरेट सर्वेक्षक को आबंटित विभाग	सर्वेक्षक/ कारपोरेट सर्वेक्षक को आबंटित सदस्यता का स्तर	प्राप्त प्रशिक्षण की अवधि (तारीखें लिखें)	व्यक्ति(यों) का नाम जिनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया	समाविष्ट क्षेत्र	परिणाम

9. अनुभव का विवरण:
- क) क्या आवेदक किसी बीमा कंपनी में नियुक्त था:
- ख) बीमा सर्वेक्षक को छोड़कर पिछली नौकरी में कार्य का अनुभव, यदि कोई हो:
- ग) अन्य व्यवसाय/ रोजगार का विवरण:
10. व्यवसाय की स्थिति:
- 0 छात्र 0 व्यवसायी 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा
0 गृहिणी 0 अन्य
11. रोजगार का विवरण: (रोजगार के तारीख-वार क्रम से)
- क) क्या आवेदक वर्तमान में नियोजित है? हाँ / नहीं
- ख) यदि हाँ, तो नीचे ब्योरा दें और नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोक्ता का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/ सरकारी/निजी बीमा कंपनी, सर्वेक्षक, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

- ग) किये गये अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण:

फर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

12. क्या कभी आपने सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया? यदि हाँ, तो ब्योरा प्रस्तुत करें : लाइसेंस संख्या:

हैदराबाद, दिनांक: (दिन).....(माह).....(वर्ष).....
लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

.....नामित व्यक्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियमों में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का कोई संकेत जिसके द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएँगे।

फार्म – आईआरडीआई – 3 – एएफ

[विनियम 4(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन नये कारपोरेट लाइसेंस हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन www.irdabap.org.in पर ही स्वीकार किया जाता है

जाँच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

1. निदेशकों/ भागीदारों को आईआईआईएसएलए द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करना **(अनिवार्य)**। "विवरण www.iiisla.co.in पर उपलब्ध है"।
2. आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
3. केवल नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित डिग्री / डिप्लोमा / तकनीकी योग्यता के लिए तैयार स्कैन प्रतियाँ संलग्न करना।
4. आवेदन फार्म की क्रम सं. 2 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (एफिडविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
5. जहाँ भी अपेक्षित है वहाँ दस्तावेजों की साक्ष्यांकित और स्कैन की हुई प्रतियाँ संलग्न करना।
6. 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआरडीआई को भेजना।
7. निर्धारित फार्मेट में **विनियम 3** में उल्लिखित रूप में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण संलग्न करना।

टिप्पणियाँ : विनियम 4 के साथ पढ़ें

1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी चूक के लिए जुर्माना एक लाख रुपये प्रत्येक दिन या एक करोड़ रुपये, जो भी कम होगा।
2. एक फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनियों का समूह केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
3. आवेदन में किये गये किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के लिए आवेदक को आद्यक्षर (इनीशियल्स) करने चाहिए।
4. कंपनी के नाम में "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" जोड़ना चाहिए।

5. एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) एक कंपनी/ फर्म से अधिक के लिए निदेशक/ भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
6. सभी निदेशक सर्वेक्षक का लाइसेंस रखेंगे जो विधिवत् लाइसेंसीकृत होंगे तथा संस्थान के सदस्य होंगे।
7. कंपनी/ फर्म का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, हानि निर्धारण और संबंधित कार्य करना होगा।
8. लाइसेंस के विवरण में कोई भी परिवर्तन आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अंदर विधिवत् सूचित किये जाने चाहिए। फर्म की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. लागू किया जानेवाला शुल्क कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/ भागीदार की सदस्यता के उच्चतम स्तर पर आधारित है।
10. गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत 10 रुपये के एक शपथ-पत्र को स्कैन करना तथा आवेदनपत्र की क्रम संख्या 6 पर निहित रूप में एक घोषणा के तौर पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए संलग्न करना अपेक्षित है।
11. आवेदन फार्म की सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-मेल सूचना प्रेषित की जाएगी।
12. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को उक्त परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

फार्म - आईआरडीआई - 3 - एफ

1. यह अनुरोध है कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए हमारे फर्म/कंपनी को निम्नलिखित विभागों और हमारे निदेशकों/ भागीदारों को उनके वैयक्तिक सर्वेक्षक लाइसेंस के अंतर्गत आवंटित सदस्यता के स्तर के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए।

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों/ भागीदारों का नाम, उनके वैयक्तिक लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

2. इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि
 - (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक /भागीदार को विक्षिप्त नहीं पाया गया है।
 - (ii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जालसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अवप्रेरित करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है।
 - (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार किसी भी धोखाधड़ी अथवा बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने के लिए अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा बीमाकर्ताओं के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है।
 - (iv) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/ भागीदार अवयस्क नहीं है।

- (v) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/भागीदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण है।
- (vii) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/भागीदारों/व्यक्तियों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- (उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसकरण प्रक्रिया में प्रीपॉप्युलेट करेगी)

3. यह भी घोषणा की जाती है कि नीचे दिया गया विवरण सही है:

1. कंपनी/फर्म का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी में) :
2. कंपनी/फर्म का पता (अंग्रेजी और हिन्दी में) :
- (पंजीकृत/कारपोरेट कार्यालय)
3. शाखा कार्यालय/कार्यालयों का विवरण:
- (यदि कोई हो)

4. कर्मचारियों का विवरण

फर्म में नियोजित लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक लाइसेंस संख्या और सदस्यता का स्तर	पदनाम	नियोजन की अवधि		एसएलए संख्या	समाप्त होने की तारीख
		किस तारीख से	किस तारीख तक		

4. यह भी घोषणा की जाती है कि पतों और जन्म तिथियों के साथ जिन सभी निदेशक/निदेशकों और भागीदार(भागीदारों) के नाम प्रस्तुत किये गये हैं वे:

- क) 31 मई, 1970 को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्यरत रहे हैं, अथवा;
- ख) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि (डिग्री) रखते हैं, अथवा
- ग) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अथवा भारतीय लागत और कार्य (वर्क्स) एकाउंटेंट्स संस्थान के फेलो अथवा असोसिएट सदस्य हैं, अथवा
- घ) बीमांकिक योग्यताएँ रखते हैं अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बीमा से संबंधित किसी संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- ङ) सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा मान्यताप्राप्त बीमा में डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- च) नियम 56ए में उल्लिखित तकनीकी योग्यताओं में से कोई योग्यता रखते हैं।

(ध्यान दें 1: जहाँ भागीदारों/ निदेशकों में से प्रत्येक के मामले में उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत होने का दावा किया गया है तथा उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने के लिए वे पात्र नहीं हैं, वहाँ किसी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-ग्रहण किये गये रूप में एक घोषणा प्रेषित की जानी चाहिए एवं जहाँ भागीदारों/ निदेशकों में से प्रत्येक के मामले में उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने का दावा किया गया है वहाँ या तो डिप्लोमाओं/ प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ उनमें से प्रत्येक की साक्ष्यांकित प्रति के साथ अथवा मूल डिप्लोमाओं/ प्रमाणपत्रों की एक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। जहाँ मूल डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं, वहाँ उन्हें अवलोकन के पश्चात् लौटाया जाएगा, परंतु ऐसी मूल प्रतियों के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. निदेशकों का विवरण (अभिग्रहित निदेशकों का विवरण प्राप्त करने के लिए)

- 1) एसएलए सं.
- 2) संस्थान की सदस्यता का विवरण:
 - (क) सदस्यता/ पहचान-पत्र सं. :
 - (ख) पहचान-पत्र जारी करने की तारीख:.....
 - (ग) आबंटित सदस्यता का स्तर:.....
 - (घ) समाप्त होने की तारीख:.....
- 3) नाम :
- 4) पता :
- 5) आबंटित विभाग

विभाग	फायर	मरीन कार्पो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

6) पिछले रोजगार का विवरण

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्ध-सरकारी/ निजी फर्म, बीमा कंपनी, कारपोरेट सर्वेक्षक, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ध्यान दे: जहाँ किसी निदेशक/ भागीदार के पास पहले से ही वैयक्तिक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म सं. 1-एएफ-नये लाइसेंस के लिए आवेदन – में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)

6. क्या फर्म / कंपनी के पास पहले कभी लाइसेंस था?

यदि हाँ, तो नीचे विवरण दें और पुराने लाइसेंस की प्रति अपलोड करें।

- (क) एसएलए सं. :
- (ख) जारी करने की तारीख :.....
- (ग) समाप्त होने की तारीख :
- (घ) नवीकरण न कराने के लिए कारण :

7. शुल्क का भुगतान: नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/ एनईएफटी/ आरटीजीएस

नये लाइसेंस के लिए लागू शुल्क: 1000 रुपये और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में लागू सेवा करा

8. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/ करती हूँ तथा पुष्टि करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(विधिवत कंपनी / फर्म द्वारा अधिकृत)

फार्म - आईआरडीआई - 4 एलएफ

[विनियम 4(13)]

अहस्तांतरणीय

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस

(कारपोरेट)

कंपनी/फर्म का नाम:.....

पंजीकृत पता:.....

को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने और आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में इसके द्वारा दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... से तीन वर्ष के लिए सर्वेक्षक/ हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।


यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

निदेशकों/ भागीदारों का विवरण उनकी वैयक्तिक लाइसेंस संख्या एवं आवंटित विभागों और सदस्यता के स्तर सहित निम्नलिखित है:-

	निदेशक/ भागीदार का नाम	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों/ भागीदारों के लाइसेंस और सदस्यता का विवरण									


हैदराबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

निदेशकों / भागीदारों का नाम




फोटो निदेशक 1

नाम



फोटो निदेशक 2

नाम.....



फोटो निदेशक 3

नाम.....

हस्ताक्षर

कंपनी/ फर्म की मुहर

.....

नामित व्यक्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार की संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो।
3. इस लाइसेंस पर कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर नहीं किये जाएँगे।

फार्म – आईआरडीएआई – 5 एएफ

[विनियम 6(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन (वैयक्तिक)

नवीकरण के लिए आवेदन www.irdabap.org.in पर केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाता है

जाँच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) आईआईआईएसएलए द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना **(अनिवार्य)** "विवरण www.iisla.co.in पर उपलब्ध है"
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना। नवीकरण करने के लिए आवेदन करने से पहले फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- 3) पिछले लाइसेंस की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 4) नोटरी द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत योग्यताओं की स्कैन की हुई प्रतियाँ संलग्न करना।
- 5) आवेदन फार्म की क्रम सं. 6 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (एफिडविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 6) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआईआईएआई को भेजना जिससे नवीकृत लाइसेंस की हार्ड प्रति प्रेषित की जा सके।
- 7) आवेदन फार्म के साथ हाल ही में लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटो की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।

टिप्पणियाँ : विनियम 6 के साथ पढ़ें

1. सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक लाइसेंस की समाप्ति से 30 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदनपत्र में प्रश्नों के उत्तर में किये गये किसी भी सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) किये जाने चाहिए।
3. आवेदन फार्म की क्रम सं. 6 के समक्ष निहित तौर पर एक घोषणा के रूप में लाइसेंसों के नवीकरण के लिए गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत 10/- रुपये के शपथ-पत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना अपेक्षित है।
4. आवेदन फार्म की सफल प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-मेल सूचना प्रेषित की जाएगी।
5. प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में कोई भी परिवर्तन होने पर उसकी जानकारी प्राधिकरण द्वारा आशोधित लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्राधिकरण को परिवर्तन होने की तारीख से 15 दिन के अंदर अनिवार्यतः दी जानी चाहिए।

फार्म - आईआरडीआई - 5 एएफ

1. मैं अनुरोध करता हूँ/ करती हूँ कि निम्नलिखित लाइसेंस का नवीकरण तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए करें।

1. वर्तमान लाइसेंस का विवरण

(क) एसएलए सं. (अनिवार्य) :

(ख) लाइसेंस का प्रभावी दिनांक:

(ग) समाप्ति की तारीख:

2. संस्थान की सदस्यता का विवरण:

(क) सदस्यता/पहचान-पत्र संख्या:

(ख) पहचान-पत्र जारी करने की तारीख:

(ग) आबंटित सदस्यता का स्तर:

3. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का नाम:

4. स्थायी पता:

5. वर्तमान पता:

(यदि वर्तमान पते में परिवर्तन हो तो प्रमाणस्वरूप डॉक अपलोड करें)

6. आबंटित विभाग

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

2. मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि लाइसेंस के लिए मेरे पिछले आवेदन की तारीख के बाद

(i) मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया हूँ/पाई गई हूँ।

(ii) मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जालसीजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अवप्रेरित करने अथवा प्रयास करने का/की दोषी नहीं पाया गया हूँ/नहीं पाई गई हूँ।

(iii) मैं किसी भी धोखाधड़ी/बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमाकर्ता के कार्यों की जाँच-पड़ताल के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने का/की दोषी नहीं पाया गया हूँ/नहीं पाई गई हूँ।

(iv) मेरा लाइसेंस किसी भी समय बीमा नियंत्रक/भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

(v) मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पास वह योग्यता निरंतर जारी है जिसके आधार पर मेरा उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था।

(vi) सर्वेक्षण कार्य की कुल संख्या और मामलों की प्रत्येक श्रेणी में संबद्ध राशि निर्दिष्ट करते हुए वैधता अवधि के पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरे द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य को वर्ष-वार और कंपनी-वार दर्शानेवाली कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के संबंध में एक वचन-पत्र संलग्न है।

(vii) सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त, मैं अन्य व्यवसायों से भी संबंधित रहा/रही हूँ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अथवा मैं किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित नहीं हूँ।

(viii) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी में अनर्हता के संबंध में उल्लिखित किसी भी उपबंध को लागू करते हुए मुझे कभी अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

3. व्यवसाय की स्थिति:

0 छात्र 0 व्यवसायी 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा 0 गृहिणी 0 अन्य

4. रोजगार का विवरण:

क) क्या आवेदक वर्तमान में नियोजित है? हाँ / नहीं.....

ख) यदि हाँ, तो नीचे ब्योरा दें और नियोजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्ध-सरकारी/ निजी फर्म, बीमा कंपनी, कारपोरेट सर्वेक्षक, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ग) किये गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण:

फर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

5. क्या आवेदक 31 मई 1970 को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्यरत रहा है ? यदि उत्तर हाँ है तथा आवेदक के पास बीमा अधिनियम, 1938 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उल्लिखित कोई भी योग्यता नहीं है, तो आवेदक को किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत् ली गई शपथ के तौर पर एक घोषणा अनिवार्यतः करनी होगी।

6. शुल्क का भुगतान; नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस

100/- रुपये का शुल्क तथा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित लागू सेवा कर।

7. यदि लाइसेंस समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है, तो लाइसेंस शुल्क 100 रुपये और 750/- रुपये का अर्ध-दंड और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित लागू सेवा कर देय होगा (साथ ही, योग्यता की नोटरीकृत प्रति भी संलग्न करें)।

8. घोषणा :

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक:

स्थान:

फार्म – आईआरडीएआई – 6 – एएफ**[विनियम 6(1) देखें]**

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन कारपोरेट नवीकरण आवेदन केवल ऑनलाइन www.irdabap.org.in पर ही स्वीकार किया जाता है

जाँच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) आईआईआईएसएलए द्वारा जारी किये गये भागीदारों/निदेशकों के सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना **(अनिवार्य)** "विवरण www.iiisla.co.in पर उपलब्ध है"
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दौरान नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क (जैसाकि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना। नवीकरण करने के लिए आवेदन करने से पहले फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- 3) नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कृत डिग्री/डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता की स्कैन की हुई प्रतियाँ संलग्न करना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 3 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (एफिडविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआईआईएआई को भेजना जिससे लाइसेंस के प्रमाणपत्र की हार्ड प्रति प्रेषित की जा सके।

टिप्पणियाँ :

1. आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आवेदन के साथ 100/- रुपये के नवीकरण शुल्क और भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार लागू सेवा कर का ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना चाहिए।
2. यदि लाइसेंस समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है, तो लाइसेंस शुल्क 100/- रुपये होगा तथा इसके साथ 750/- रुपये का जुर्माना और भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार लागू सेवा कर नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अदा करना होगा।
3. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 5 लाख रुपये से अनधिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा तथा जुर्माने से दंडनीय होगा।
4. एक फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनियों का समूह केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
5. आवेदन में किये गये किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के लिए आवेदक को आद्यक्षर (इनीशियल्स) करने चाहिए।
6. कंपनी के नाम में "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" जोड़ना चाहिए।
7. एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) एक कंपनी/ फर्म से अधिक के लिए निदेशक/ भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
8. सभी निदेशक सर्वेक्षक का लाइसेंस रखेंगे जो विधिवत् लाइसेंसीकृत और वर्गीकृत होंगे।
9. कंपनी/ फर्म का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, हानि निर्धारण और संबंधित कार्य करना होगा।
10. लाइसेंस के विवरण में कोई भी परिवर्तन *आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए* भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अंदर विधिवत् सूचित किये जाने चाहिए। फर्म की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11. गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत 10/- रुपये के एक शपथ-पत्र को स्कैन करना तथा आवेदनपत्र की क्रम संख्या 6 पर निहित रूप में एक घोषणा के तौर पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए संलग्न करना अपेक्षित है।
12. आवेदन फार्म की सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-मेल सूचना प्रेषित की जाएगी।
13. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को उक्त परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

14. फार्म – आईआरडीएआई – 6 – एएफ

1. वर्तमान कारपोरेट लाइसेंस का विवरण

(क) एसएलए संख्या:

(ख) समाप्ति की तारीख:

(ग) फर्म/कंपनी का नाम:

(घ) कंपनी/फर्म का पता:

2. आबंटित विभाग

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों /भागीदारों के लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त लाइसेंस का नवीकरण बीमा की निम्नलिखित श्रेणियों तथा निदेशकों/भागीदारों को आबंटित सदस्यता के स्तर हेतु तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाए:

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों/भागीदारों के लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

4. इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि

- (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक /भागीदार को विक्षिप्त नहीं पाया गया है।
- (ii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जालसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अवप्रेरित करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है।
- (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार किसी भी धोखाधड़ी अथवा बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने के लिए अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा बीमाकर्ताओं के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

- (iv) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/ भागीदार अवयस्क नहीं है।
- (v) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/भागीदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण है।
- (vii) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/भागीदारों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- (उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसकरण प्रक्रिया में प्रीपॉप्युलेट होगी)
5. यह घोषणा की जाती है कि फर्म का प्रत्येक निदेशक/ भागीदार जो उस समय एक निदेशक/ भागीदार था जब उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था तथा जो अब निदेशक/ भागीदार है, अधिनियम की धारा 64-यूएम की उप-धारा (1) के खंड (डी) की अपेक्षाएँ लगातार पूरी कर रहा है।
6. यह भी घोषणा की जाती है कि जिन सभी निदेशक (निदेशकों)/ भागीदार(भागीदारों) के पते और जन्मतिथियाँ प्रस्तुत की गई हैं वे:
- क) 26 अक्तूबर 1968 को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्यरत रहे हैं अथवा;
- ख) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि (डिग्री) रखते हैं, अथवा
- ग) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अथवा भारतीय लागत और कार्य (वर्क्स) एकाउंटेंट्स संस्थान के फेलो अथवा असोसिएट सदस्य हैं अथवा
- घ) बीमांकिक योग्यताएँ रखते हैं अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राप्त बीमा से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- ड) सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा मान्यताप्राप्त बीमा में डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- च) नियम 56-ए में उल्लिखित तकनीकी योग्यताओं में से कोई योग्यता रखते हैं।
- (उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसकरण प्रक्रिया में प्रीपॉप्युलेट होगी)

[ध्यान दें 1: ऐसे प्रत्येक निदेशक/ भागीदार के मामले में जो लाइसेंस के लिए पिछले आवेदन की तारीख को भागीदार/ निदेशक नहीं था:-

- (i) जहाँ वह उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत होने का दावा करता है तथा उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने के लिए पात्र नहीं है, वहाँ बीमा नियमावली, 1939 में दिये गये रूप में तथा किसी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-ग्रहण किये गये रूप में एक घोषणा इस फार्म के साथ प्रेषित की जानी चाहिए; एवं जहाँ वह उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने का दावा करता है वहाँ या तो डिप्लोमाओं/ प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ उनमें से प्रत्येक की साक्ष्यांकित प्रति के साथ अथवा मूल डिप्लोमाओं/ प्रमाणपत्रों की एक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। जहाँ मूल डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं, वहाँ उन्हें अवलोकन के पश्चात् लौटाया जाएगा, परंतु ऐसी मूल प्रतियों के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

7. निदेशकों / भागीदारों का विवरण

(1) निदेशक/भागीदार का नाम :.....

(2) एसएलए संख्या :.....

(3) समाप्ति की तारीख :.....

संस्थान की सदस्यता का विवरण:

(4) सदस्यता पहचान-पत्र संख्या:.....

- (5) पहचान-पत्र जारी करने की तारीख:
- (6) आबंटित सदस्यता का स्तर:.....
- (7) नाम
- (8) पता
- (9) आबंटित विभाग

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फसल बीमा	एलओपी
लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

टिप्पणी: जहाँ किसी निदेशक/ भागीदार के पास पहले से ही वैयक्तिक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म सं. 1-एएफ – नये लाइसेंस के लिए आवेदन – में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।]

(10) पिछले रोजगार का विवरण

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्ध-सरकारी/ निजी फर्म, बीमा कंपनी, कारपोरेट सर्वेक्षक, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

8.घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/ करती हूँ तथा पुष्टि करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(डिजिटल हस्ताक्षर)

कंपनी/ फर्म का नाम:

कारपोरेट लाइसेंस संख्या:

कंपनी/ फर्म की मुहर

फार्म – आईआरडीआई – 7 एलएफ

[विनियम 6(5) देखें]

अहस्तांतरणीय

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस का नवीकरण (वैयक्तिक)

श्री / श्रीमती / कुमारी

पता:.....

जो.....के एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत हैं और संस्थान की जिनकी सदस्यता संख्याहै, द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क अदा किये जाने तथा आवश्यक घोषणा की जाने के उपलक्ष्य में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रदत्त उनके लाइसेंस सं. दिनांक..... का नवीकरण इसके द्वारा.....(दिन).....(माह) 20..... तक किया जाता है।

नाम.....को निम्नलिखित विभागों और श्रेणी का आबंटन किया जाता है:

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध (मिसि-लेनि-यस)	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

हैदराबाद, दिनांक: (दिन).....(माह).....(वर्ष).....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

.....

नामित व्यक्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियमों में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का कोई संकेत जिसके द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएँगे।

फार्म – आईआरडीएआई – 8 एलएफ

[विनियम 6(5)]

अहस्तांतरणीय

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस का नवीकरण (कारपोरेट)

नाम:.....

पता:.....

को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने और आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में इसके द्वारा दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... से तीन वर्ष के लिए सर्वेक्षक/ हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

निदेशकों/ भागीदारों को निम्नलिखित विभागों और श्रेणियों का आवंटन किया जाता है:

क्रम सं.	निदेशक/ भागीदार का नाम	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध (मिसि- लेनि- यस)	फसल बीमा	एलओपी
निदेशक के लाइसेंस और सदस्यता का विवरण									

हैदराबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

फर्म/ कंपनी की मुहर.....

.....

नामित व्यक्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियमों में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का कोई संकेत जिसके द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएँगे।

फार्म – आईआरडीएआई – 9 ए एफ

[विनियम 9(1) देखें]

लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन

1. मैं/हम खेदसहित आपको सूचित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा लाइसेंस सं..... जिसकी समाप्ति की तारीख (दिन-माह-वर्ष)..... है,

0 खो गया है 0 नष्ट किया गया है 0 कटा-फटा है
जो निम्नलिखित परिस्थितियों में घटित हुआ है.....

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए शुल्क भी नीचे निर्दिष्ट रूप में अदा किया गया है।

(शुल्क का भुगतान: नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/ एनईएफटी/ आरटीजीएस)

3. अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में लाइसेंस की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करें।

घोषणा :

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और पुष्टि करता हूँ/करती हूँ /करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

यदि मूल लाइसेंस का पता लग जाता है, तो मैं/हम आपको आश्वासन देता हूँ/देती हूँ /देते हैं कि वह प्राधिकरण को लौटा दिया जाएगा।

दिनांक:

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न : आवेदन करने वाले व्यक्ति के कब्जे में , यदि कोई हो,

टुकड़े विकृत

फार्म – आईआरडीए – 10 – एलएफ

[विनियम 9 (3) देखें]

अहस्तांतरणीय

लाइसेंस सं.

लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस)

नाम.....

.....

पता: मकान सं.....गली..... नगर/जिला.....

राज्य.....पिन कोड..... को आईआरडीएआई (शुल्क का भुगतान)

विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क का भुगतान करने तथा लाइसेंस के खो जाने/ नष्ट किये जाने/ कटे-फटे होने की आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में इसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम के अधीन लाइसेंस की समाप्ति तक शेष अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....को समाप्त होगा।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निम्नलिखित विभागों के लिए कार्य करना जारी रखेगा:

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध (मिसि-लेनियस)	फसल बीमा	एलओपी
श्रेणी								

हैदराबाद, दिनांक20.....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

फर्म/कंपनी की मुहर.....

.....

नामित व्यक्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियमों में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का कोई संकेत जिसके द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएँगे।

फार्म - आईआरडीएआई - 11

[विनियम 16(13) देखें]

3 वर्ष हेतु अभिलेख रखने के लिए फार्मेट

1. सर्वेक्षक का नाम

2. लाइसेंस का विवरण

वर्तमान एसएलए सं.

समाप्ति की तारीख : दिन-माह-वर्ष

क्रम सं.	बीमाकृत व्यक्ति का नाम और पता	बीमाकर्ता का नाम और पता	पॉलिसी संख्या	विभाग जिसमें दावा आता है	सर्वेक्षण कार्य के आबंटन की तारीख	सर्वेक्षण/ निरीक्षण की तारीख	सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	दावे की निर्धारित राशि	सर्वेक्षण शुल्क का विवरण (भुगतान की राशि/ तारीख)

टिप्पणी : विनियम 16(13) के अंतर्गत उल्लिखित रूप में सर्वेक्षण रिपोर्टें, फोटोग्राफ, आदि अलग से रखे जाएँगे।

6. वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य जोखिम निर्धारण कार्यों से प्राप्त आय

(व्यक्ति/ कानूनी संस्था) के साथ किया गया जोखिम निर्धारण	फायर	मरीन कार्यों	मरीन हल	इंजीनि- यरिंग	मोटर	विविध (मिसिले- नियम)	फसल बीमा	एलओपी	कुल
क									
ख									
ग									
घ									

7. पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित हानियों की मात्रा:

20xx - 20xx

फायर	सं.	मरीन कार्यों	सं.	मरीन हल	सं.	इंजीनि- यरिंग	सं.	मोटर	सं.	विविध	सं.	फसल बीमा	सं.	एलओपी	सं.
>10 लाख		>1 लाख		>10 लाख		>2.5 लाख		> 50,000		>1 लाख		> 50,000		>10 लाख	
1-10 लाख		25,000-1 लाख		2.5-10 लाख		50,000-2.5 लाख		10,000-50,000		25,000-1लाख		10,000 - 50,000		1-10 लाख	
0-1 लाख		0-25,000		0-2.5 लाख		0-50,000		0-10,000		0-25,000		0 - 10,000		0-1 लाख	
कुल															

8. घोषणा

मैं, सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ/करती हूँ और पुष्टि

करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक:

स्थान:

फार्म – आईआरडीए – 13**प्रशिक्षणार्थियों के रूप में नामांकन के लिए निर्धारित फार्मेट****[विनियम 17(1)]**

अनुदेश:

- (1) संस्थान द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता पहचान-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) नामांकन के लिए आवेदन के साथ प्रशिक्षक/सर्वेक्षक फर्म का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (3) नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर आईआरडीएआई द्वारा कार्रवाई प्रशिक्षणार्थी द्वारा चयनित प्रशिक्षक/सर्वेक्षक फर्म से प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।
- (4) प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी अनिवार्यतः प्राधिकरण को परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर दी जानी चाहिए।

आवेदक का विवरण

1. नाम:
2. संस्थान की सदस्यता का विवरण:
छात्र सदस्यता संख्या:
3. स्थायी पता:
4. वर्तमान पता:
5. संपर्क का विवरण:

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

6. जन्मतिथि
7. राष्ट्रीयता
8. पिछले 1 वर्ष में प्राप्त योग्यताएँ (प्रमाण स्वरूप डॉक अपलोड करें)
 - (क) शैक्षिक / व्यावसायिक
 - (ख) बीमा
 - (ग) प्राप्त प्रशिक्षण:
 (उपर्युक्त सभी का स्वरूप और अवधि लिखें)
9. व्यवसाय की स्थिति:
0 छात्र 0 व्यवसायी 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा 0 गृहिणी 0 अन्य
10. रोजगार का विवरण:
(क) क्या आवेदक वर्तमान में नौकरी कर रहा है? हाँ / नहीं.....
(ख) यदि हाँ, तो नीचे विवरण प्रस्तुत करें और नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्ध-सरकारी/ निजी फर्म, बीमा कंपनी, सर्वेक्षक फर्म, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

(ग) किये गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण:

फर्म का नाम	पदनाम	व्यवसाय का स्वरूप

11. विभागों के लिए विकल्प जिनमें आप प्रशिक्षित होना और सर्वेक्षक का विकल्प प्रदान किया जाना चाहते हैं/चाहती हैं

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
6. _____ 7. _____ 8. _____

12. प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक का नाम:.....

एसएलए संख्या:

संस्थान की सदस्यता का विवरण:

सदस्यता पहचान-पत्र संख्या:.....

पहचान-पत्र जारी करने की तारीख

आवंटित सदस्यता का स्तर:.....

समाप्ति की तारीख:

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध (मिसि-लेनि-यस)	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

वर्तमान पता:.....

संपर्क का विवरण

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

13. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ/करती हूँ और पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक:

स्थान:

फार्म – आईआरडीए – 14**प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति देनेवाले प्रशिक्षक सर्वेक्षक से प्रमाणपत्र का फार्मेट****[विनियम 17(1)]**

[महत्वपूर्ण अनुदेश: यह फार्म प्रशिक्षणार्थी सर्वेक्षक के नामांकन के संबंध में स्वचालित सूचना प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।]

1. मैं,(सर्वेक्षक/सर्वेक्षक फर्म का नाम) सर्वेक्षक के लाइसेंस सं..... का/की धारक तथा सदस्यता का विवरणयह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि श्री /सुश्री को

निम्नलिखित विभाग/ विभागों में प्रशिक्षणार्थी सर्वेक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है:

(i).....(ii)..... (iii)..... (iv).....(v).....
(vi)..... (vii).....(viii).....

2. मैंने शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित सूचना का सत्यापन किया है तथा मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि यह सूचना यथार्थ और सही है। मैं संस्थान का /की सदस्य हूँ तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उन विभागों के लिए जारी किया गया वैध सर्वेक्षक का लाइसेंस धारण करता हूँ/करती हूँ जिनके लिए मैं व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा/रही हूँ।

3. मैं अपनी अधिकतम जानकारी और सामर्थ्य के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का वचन देता हूँ/देती हूँ तथा प्रशिक्षणार्थी द्वारा रखे जानेवाले अभिलेखों के आधार पर साप्ताहिक आधार पर उनके कार्यनिष्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं निर्धारित रूप में और तरीके से तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति के माध्यम से प्रगति के बारे में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित करते रहने के लिए स्वीकृति देता हूँ/देती हूँ।

सर्वेक्षक का लाइसेंस सं. :

समाप्ति की तारीख:

पता:

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान:

फार्म – आईआरडीए – 15**तिमाही रिपोर्ट – दैनिक डायरी के लिए फार्मेट****[विनियम 17(4)]**

महत्वपूर्ण अनुदेश:

दैनिक डायरी के लिए फार्मेट

(प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक द्वारा रखा जाना चाहिए और तिमाही आधार पर सॉफ्ट रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट:(माह / वर्ष)

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम:

2. पता:

3. संपर्क:

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

4. प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक / कारपोरेट सर्वेक्षक का नाम:.....

वर्तमान लाइसेंस संख्या:

समाप्त होने की तारीख:

5. सदस्यता का विवरण

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	बिबिध (मिसि-लेनियस)	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

6. प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख:.....

विभाग	दिये गये प्रशिक्षण की विषय-वस्तु (सॉफ्ट रूप में अपलोड करें और जहाँ भी संभव हो, वहाँ समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

फार्म - आईआरडीए - 16
प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र
[विनियम 17(4)]

महत्वपूर्ण अनुदेश:

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए
 एसएलए सं. <<प्रशिक्षक का नाम>> <<प्रशिक्षक का पता>>
 समाप्ति की तारीख: <<प्रशिक्षक की योग्यता>>

सदस्यता पहचान-पत्र सं. :

सदस्यता का स्तर:

विभागों की सूची जिनमें प्रशिक्षक लाइसेंस प्राप्त है

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री..... ने मेरे पास 12 महीने / 6 महीने की अवधि के लिए <तारीख> से <तारीख> तक <चेक बॉक्स सहित विभागों की सूची> विभाग/ विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सर्वेक्षण और हानि निर्धारण करने के लिए <विभाग> के विभिन्न पहलुओं को सीखा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मैंने पाया कि वे परिश्रमी, ईमानदार और समझदार हैं। मेरी राय में वे सर्वेक्षण की सभी प्रविधियों में पूर्णतः कुशल हैं तथा उनके उज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ। <अतिरिक्त टिप्पणी, यदि कोई हो>

<प्रशिक्षक का नाम>

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

एसएलए संख्या:समाप्ति की तारीख:.....

सदस्यता संख्या:सदस्यता का स्तर:.....

फार्म - आईआरडीएआई - 17 ए एफ

[विनियम 3(4)(i)]

आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फार्मेट
वैयक्तिक सर्वेक्षक

महत्वपूर्ण अनुदेश:

प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अनिवार्यतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

1. नाम फर्म/ कंपनी का नाम (जहाँ भी लागू हो).....

टिप्पणी.....

2. एसएलए संख्या..... समाप्ति का दिनांक.....

सदस्यता पहचान संख्या..... सदस्यता का स्तर.....

3. वर्तमान पता:

पता 1:

पता 2:

पता 3:

नगर/कस्बा/ग्राम:.....जिला: राज्य:.....

देश:.....पिन कोड:.....

4. टिप्पणी:

परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जा रहा

1. लाइसेंसधारी के नाम में परिवर्तन:

2. एकमात्र स्वामित्व वाले फर्म के निगमन का नाम:

फर्म का नाम:

टिप्पणी:

3. अतिरिक्त विभाग प्रदान करना:

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध (मिसि-लेनियस)	फसल बीमा	एलओपी
चयन करें	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. पहले से जारी किये गये लाइसेंस में सुधार (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में मुद्रण संबंधी त्रुटि हो)

5. संस्थान द्वारा आबंटित सदस्यता के स्तर में परिवर्तन

.....स्तर से स्तर में (इस प्रकार का/के परिवर्तन और

इसके लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सॉफ्ट प्रति संलग्न करें)

6. वैयक्तिक सूचना में परिवर्तन:

फोन सं. (निवास) फोन सं. कार्यालय).....

मोबाइल सं. ई-मेल: वैकल्पिक

ई-मेल:टिप्पणी:.....

आवेदक के हस्ताक्षर:

स्थान:

दिनांक:

फार्म – आईआरडीए -18 ए एफ

[विनियम 4(6)(ख)]

आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फार्मेट कारपोरेट सर्वेक्षक

महत्वपूर्ण अनुदेश:

प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अनिवार्यतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

आशोधन के प्रकार का चयन करें

1. नाम: फर्म/कंपनी का नाम:

टिप्पणी:

2. कारपोरेट लाइसेंस संख्या समाप्त होने की तारीख:.....

3. कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय का पता:

पता 1: पता 2:

पता 3:

नगर/कस्बा/ग्राम:.....जिला:.....राज्य:.....

देश:.....पिन कोड:.....

टिप्पणी:.....

4. शाखा कार्यालय का पता:

पता 1: पता 2:.....

पता 3:नगर/कस्बा/ग्राम: जिला:

..... राज्य:.....देश: पिन कोड:

.....टिप्पणी:

5.निदेशक / भागीदार के विवरण में परिवर्तन:

नये निदेशक/भागीदार को शामिल करें वर्तमान निदेशक/भागीदार को हटाएँ वर्तमान निदेशक/भागीदार को बदलें

6.कर्मचारी में परिवर्तन:

नये कर्मचारी/कर्मचारियों को शामिल करें

वर्तमान कर्मचारी/ कर्मचारियों को हटाएँ

शेयरधारिता के स्वरूप और प्रवर्तक (प्रवर्तकों) में परिवर्तन

7. पहले से जारी किये गये लाइसेंस में सुधार (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में मुद्रण की त्रुटि हो) :

8.निदेशक (निदेशकों)/भागीदार (भागीदारों) को संस्थान द्वारा आवंटित सदस्यता के स्तर में परिवर्तन

..... स्तर से स्तर

में(इस प्रकार का/के परिवर्तन और इसके लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सॉफ्ट प्रति संलग्न करें)

कारपोरेट सर्वेक्षक द्वारा शाखा कार्यालय/ कोई अन्य कार्यालय खोलना

9. वैयक्तिक सूचना में परिवर्तन:

फोन सं. (निवास)..... फोन सं. (कार्यालय).....

मोबाइल सं.....ई-मेल:.....

वैकल्पिक ई-मेल:

टिप्पणी:

निदेशक/भागीदार के हस्ताक्षर:

कंपनी की मुहर:

तारीख:

स्थान:

टी.एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./161/15]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 30th October, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

F.No. IRDAI/Reg/18/108/2015- In exercise of the powers conferred by clause (x) and (xa) of sub-section 2 of Section 114A read with Sections 42D, 42E and 64UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title, commencement and application**

- (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall apply to all licensed insurance Surveyors and Loss Assessors.
- (3) These Regulations supersede Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000 with effect from date of Gazette notification.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

- (1) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (2) "Applicant" means a person who applies for the grant of a Surveyor and Loss Assessor license or renewal thereof;
- (3) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (4) "Associate member" means any Licentiate Member and holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 8 years and upon fulfilment of other criteria set out in Regulation 15(1) (a) (ii);
- (5) "Corporate Surveyor" means a company incorporated under the Companies Act, 2013 or a Firm formed under Partnership Act, 1932, or an LLP (Limited Liability Partnership) incorporated under LLP Act 2008 and who is licensed to act as Surveyor and Loss Assessor
- (6) "Designated Person" means an officer of the Authority so designated by the Authority to discharge the functions assigned to him under these Regulations;
- (7) "Fellow Member" means any Associate Member holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 16 years and fulfils other criteria set out in Regulation 15(1)(a)(iii);
- (8) "Inspecting Authority" means the person(s) appointed by the Authority to inspect and investigate the affairs of any Surveyor and Loss Assessor;
- (9) "Institute" means the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) promoted by IRDAI under Section 14(2)(f) of IRDA Act, 1999 and incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- (10) "IRDA Act" means the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (11) "Licentiate Member" means any person holding a valid license issued by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor and fulfils other criteria set out in Regulation 15(1)(a)(i).
- (12) "Member" means Student Member or Licentiate Member or Associate Member or Fellow Member of the Institute.
- (13) "Surveyor and Loss Assessor" means a person who is licensed by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor.

- (14) "Student Member" means any person who is Member of the Institute and who enrolls himself as a trainee with the Authority for seeking practical training to obtain a license to act as Surveyor and Loss Assessor;
- (15) "Membership level of a Surveyor and Loss Assessor" means level allotted by the Institute to a Member, based on the criteria set out in Regulation 15 of these Regulations
- (16) words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972), or in any Rules or Regulations made under those Acts, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules, Regulations, as the case may be.
- (17) *In these Regulations the use of the word "he", "him" or "his" wherever appearing shall mean and include "she", "her", "it" or "it's" as the case may be; and the singular shall be deemed to mean and include the plural.*

CHAPTER II

LICENSING PROCEDURE

3. Application for, and matters relating to, grant of license to individual Surveyors and Loss Assessors

- (1) Every person who is a Student Member of the Institute and intending to act as a Surveyor and Loss Assessor in respect of general insurance business shall apply to the Authority for grant of License in FORM-IRDAI-1-AF as given in Schedule II to these Regulations.

(2) **Eligibility Criteria**

(a) Qualifications:

- (i) academic / technical/ professional/Insurance Qualifications given in Schedule I Annexure-1 of these Regulations.

(ii) Other qualifications as may be specified by the Authority from time to time.

(iii) Shall be a "Member" of the Institute.

(b) Training :

(i) Practical training for a period of not less than twelve months as specified in Regulation 17(1)

(ii) Such other training which the Authority may specify from time to time.

Explanation: Any person who has undergone the requisite training for obtaining a license to act as a Surveyor and Loss Assessor, as stated above may have to undergo such other training as may be specified by the Authority.

- (c) **Examination:** Passing of relevant paper(s) of Surveyor and Loss Assessor Examination conducted by the Insurance Institute of India, Mumbai or any other Institute recognized by the Authority.

Explanation: Any person who has, as on the date of notification of these Regulations, successfully completed the examination for obtaining a license to act as Surveyor and Loss Assessor, is exempt from taking examination once again stated under 3(2)(c) above.

(3) **Documents to be enclosed:**

- (a) Application in Form-IRDAI-1AF duly complete in all respects.
- (b) Copy of Membership certificate issued by the Institute, indicating Student Membership No, Date of Issue, etc.
- (c) Recent passport photo
- (d) Copy of PAN Card
- (e) Address Proof
- (f) Proof of qualification (notarized)
- (g) Training completion certificate (in original)
- (h) Copy of quarterly reports (for the previous 4 quarters)
- (i) Copy of marks sheet in support of having passed the Surveyor and Loss Assessor examination as provided under Regulation 18 of these Regulations
- (j) No Objection Certificate from employer, if employed (in original)
- (k) Affidavit as stated at sl no 2 of FORM- IRDAI-1-AF (to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)
- (l) Self addressed envelope of 4.5" x10" with minimum of Rs.40 postage stamp
- (m) Demand draft, in case fee is paid by DD
- (n) Details of fee payment by RTGS/ NEFT, if paid through RTGS/ NEFT
- (o) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time

(Copies of documents other than (f), (g), (j), (l), (m) and (n) shall be self-attested)

(4) **Disclosures:**

- (a) Every licensed Surveyor and Loss Assessor is required to submit a declaration stating that he/she shall file with the Authority, any changes in the information submitted to the Authority within 15 days of such change and apply in the FORM-IRDAI-17-AF as given in Schedule II to these Regulations, for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.
- (b) Every licensed Surveyor and Loss Assessor shall submit such other information as may be required by the Authority from time to time.

(5) **Payment of fees** - The applicant shall pay fees as provided under Regulation 5, through online net banking / RTGS/ NEFT/ Demand Draft in favour of IRDAI and furnish evidence of payment.

(6) **Application to conform to the requirements** - An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the application form and these Regulations, shall be rejected.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

(7) **Furnishing of information, clarification and personal representation –**

- (a) The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of examination of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.
- (b) The applicant shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with their application.

(8) **Consideration of application –**

- (a) The Authority, while considering the application made under Regulation 3(1) for grant of license as a Surveyor and Loss Assessor, take into consideration all matters relating to the duties, responsibilities and functions of Surveyor and Loss Assessor and satisfy itself that the applicant is a fit and proper person to be granted a license.
- (b) Without prejudice to the foregoing, the Authority shall take into account the following and satisfy itself that the applicant:
- (i) meets all the requirements of Section 64UM read with Section 42D of the Act and fulfils the eligibility criteria set out in Regulation 3 of these Regulations.
 - (ii) has not been refused in the past one year the grant of a license as Surveyor and Loss Assessor by the Authority
 - (iii) is not suffering from any of the disqualifications specified under Section 42D of the Act;
 - (iv) possesses the specified qualifications, has undergone practical training and has passed an examination conducted by the examination body.

(9) **Grant of license:-** The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of license, shall grant the same in FORM-IRDAI-2-LF as given in the Schedule II to these Regulations, mentioning the level of membership granted by the Institute, particular class/ department or subject of general insurance business namely, fire, marine cargo, marine hull, engineering, motor, miscellaneous, crop insurance and loss of profit.

(10) **Validity of License:-** The license granted shall be valid for a period of three years.

(11) A Surveyor and Loss Assessor, whose license has been cancelled or suspended for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of one year from the date of such cancellation or suspension, and such application shall be treated as a fresh case, and, accordingly, the applicant shall satisfy all the requirements of Regulation 3(2) above.

4. Application for grant of fresh Corporate Surveyor and Loss Assessor License and related matters

- (1) An applicant desiring to obtain a Corporate Surveyor and Loss Assessor license shall do so in **Form-IRDAI-3-AF** as given in the **Schedule II** to these Regulations.
- (2) **Eligibility Criteria** – the directors/ partners of the company/ firm, shall conform mutatis-mutandis to the eligibility criteria set out in **Regulation 3** of these Regulations.

- (3) In addition, the Authority shall satisfy itself that the application submitted is complete in all respects, satisfies all the applicable requirements of Section 64UM read with Section 42D of the Act.

Provided that none of the directors or partners suffers from any of the disqualifications mentioned in Section 42D of the Act.

- (4) There shall be at least two directors/ partners in the company / firm at any point of time who are members of the Institute and are licensed to act as Surveyor and Loss Assessor. The department and level of membership of the director/ partner under their individual Surveyor and Loss Assessor license shall become the department and level of Membership of the Company/ firm. Any licensed Surveyor and Loss Assessor appointed as director/ partner of a company/ firm seeking application for grant of corporate surveyor license, shall undertake survey jobs and issue survey reports only in the capacity of director/ partner of the applicant company/ firm.

(5) **Documents to be enclosed:**

- (a) Application in **Form-IRDAI-3-AF** duly completed in all respects.
- (b) Copy of Membership certificate issued by the Institute to the directors/ partners, indicating Membership No, Date of Issue etc.
- (c) one recent photo of directors/ partners
- (d) Copy of Surveyor and Loss Assessor license of directors/ partners
- (e) Copy of certificate of incorporation issued by ROC in case of company
- (f) Copy of Partnership deed in case of a firm duly signed by all the partners
- (g) Copy of Memorandum and Articles of association of the company
- (h) Copy of Form no DIR-12 filed with ROC
- (i) Copy of Form no INC-22/23 filed with ROC
- (j) Copy of Form no 20B/Form SH7, as the case may be, filed with ROC
- (k) Copy of TAN
- (l) Proof of qualification of directors/partners
- (m) Copy of PAN No and Address Proof of directors/ partners
- (n) Affidavit as stated under sl no.2 of FORM-IRDAI-3-AF including whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has been refused in the past the grant of a license/ registration by the Authority.
- (o) Fit & Proper statement made by the directors/ partners
- (p) Self addressed envelope of 4.5"x10" with minimum of Rs.40 postage stamp
- (q) Demand draft, in case fee is paid by DD
- (r) Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
- (s) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time
(Copies of documents at sl. no (d) to (m) shall be notarized)

(6) **Disclosures:**

- (1) Required to submit a declaration stating that prior to joining the applicant company/ firm, the individual Surveyors and Loss Assessor shall complete all survey jobs entrusted to them within the timelines provided under IRDA (Protection of Policyholder's Interest) Regulations, 2002 and that upon grant of Corporate Surveyor and Loss Assessor license, such individual Surveyor and Loss Assessors shall henceforth work only under the Corporate Surveyor and Loss Assessor license.
- (2) Required to submit a declaration stating that the directors/ partners shall submit information about resignation/ death/ suspension of director/ partner, change in share holding pattern and such other material changes to the Authority and apply in **FORM-IRDAI-18-AF** as given in the **Schedule II** to these Regulations within 15 days of such change for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) to the company/ firm shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.
- (3) Require to submit details of those Surveyor and Loss Assessors who are employed in the registered office and branch office/s of the company/firm to conduct survey jobs on behalf of the company/ firm.
- (4) Such other additional requirements as may be specified by the Authority from time to time.
- (7) **Payment of fees** - Shall pay fees as provided under **Regulation 5**, through online net banking/ RTGS/ NEFT/ Demand Draft in favour of IRDAI and furnish evidence of payment.
- (8) **Application to conform to the requirements** - An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the application form and these Regulations, shall be rejected.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

- (9) **Furnishing of information, clarification and personal representation** — The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.
- (10) The applicant shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with their application.
- (11) **Consideration of application** - The Authority while considering the application made under **Regulation 4(1)** for grant of license as a Corporate Surveyor and Loss Assessor, take into consideration all matters relating to the duties, responsibilities and functions of Surveyor and Loss Assessor and satisfy itself that the applicant is a fit and proper person to be granted a license.
- (12) Without prejudice to the foregoing, the Authority shall take into account the following and satisfy itself that;
- (a) the applicant meets all the requirements of Section 64UM read with Section 42D of the Act and fulfils the eligibility criteria set out in Regulation 4(2), 4(3) and 4(4) of these Regulations;
 - (b) none of the directors or partners suffers from any of the disqualifications mentioned in Section 42D of the Act;
 - (c) the applicant has not been refused in the past one year the grant of a license/ registration by the Authority;
 - (d) directors/ partners of the company/ firm are Fit and Proper based on the statement in **Schedule-I Annexure 2** of these Regulations;
 - (e) the main object of the company/firm shall be to carry out insurance survey and loss assessment;
 - (f) the name of the company or firm shall include the words “Insurance Surveyor and Loss Assessors”
 - (g) the aggregate holdings of equity shares held by a foreign investor including portfolio investors shall be disclosed at the time of making the application for grant of license, which shall be as prescribed by the Central Government from time to time;
 - (h) the same promoter/ subscriber of the applicant does not have more than one Corporate Surveyor and Loss Assessor license. “Promoter/ Subscriber” shall be as defined in the “Companies Act, 2013”.
 - (i) whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has been refused in the past the grant of a license/ registration by the Authority.

Explanation:-For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 or the Competition Act, 2002, as the case may be.

- (13) **Grant of license**:-The Authority, on being satisfied that the applicant is eligible for grant of license, shall grant the same in **FORM-IRDAI-4-LF** as given in the **Schedule-II** to these Regulations, indicating the departments and membership level of the corporate surveyor and loss assessor.
- (14) **Validity of License**: - The license granted shall be valid for a period of three years.
- (15) **Conditions of license** –
- (1) Upon grant of Corporate Surveyor and Loss Assessor license, the company/ firm can undertake survey jobs only in those department and level of membership displayed against each of the director/ partner in the Corporate Surveyor and Loss Assessor license issued by the Authority.
 - (2) None of the directors or partners of a Corporate Surveyor and Loss Assessor shall be appointed as director or partner in another Corporate Surveyor and Loss Assessor company / firm.
 - (3) Individual Surveyor and Loss Assessor who is working as an employee of a company/firm shall undertake survey jobs only of that company/ firm with whom he/she is employed with. The employee shall undertake survey jobs only in those departments and level of membership allotted to him/ her under his/ her individual license.
 - (4) The company/ firm shall undertake reasonable number of survey jobs which are commensurate with their resources and the number of individual Surveyors and Loss Assessors they employ.
 - (5) The Corporate Surveyor and Loss Assessor company/ firm shall maintain records including in electronic form in the format specified by the Authority which shall capture claim-wise and individual Surveyor and Loss Assessor-wise details wherein each claim surveyed by the company/

firm is tagged to the individual Surveyor and Loss Assessor in the company/ firm. The corporate surveyor company/ firm shall put in place systems which allow regular access to such records and details by the Authority.

5. **Fee Structure:** The fee payable to the Authority by fresh applicants for grant of license to act as Surveyors and Loss Assessors shall be one thousand Rupees plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time.

6. **Application for grant of renewal license (Individual/ Corporate Surveyor and Loss Assessor) and related matters:**

- (1) An application for renewal of Surveyor and Loss Assessor license including online submission of application for renewal, shall reach the Authority at least thirty days before the expiry of the period of validity thereof,

(a) in **FORM-IRDAI-5-AF** (for individuals)

(b) in **FORM-IRDAI-6-AF** (for Corporate Surveyor and Loss Assessors) as given in the **Schedule-II** to these Regulations, along with a renewal fee of one hundred rupees plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time.

Provided that the Authority may, if it is satisfied that undue hardship would be caused otherwise, accept any application, within six months of its expiry on payment by the applicant of a penalty of seven hundred and fifty rupees.

Provided further that a license not so renewed ceases to exist. However, an application from such surveyor and loss assessor whose license has ceased to exist can be treated as fresh application and processed under **Regulation 3** or **Regulation 4**, and such applicant shall be allotted Licentiate level of Membership in the license issued by the Authority.

- (2) The Authority may renew the license upon being satisfied that the applicant has complied with all the requirements as may be specified by the Authority from time to time, particularly those specified in **Chapter II** of these Regulations

(3) **Documents to be submitted**

(a) In case of Individual:

- (i) Application in **Form-IRDAI-5-AF** duly completed in all respects.
- (ii) Recent photo
- (iii) Copy of PAN Card
- (iv) Address Proof
- (v) Proof of qualification (notarized)
- (vi) No Objection Certificate from employer, if employed (in original)
- (vii) Work performance in **Form-IRDAI-12** (to be uploaded in soft form for previous 3 financial years)
- (viii) Affidavit as stated under **sl no 2 of FORM-IRDAI-5-AF**
- (ix) Copy of Membership Certificate issued by the Institute.
- (x) Self addressed envelope of 4.5"x10" with minimum of Rs.40 postage stamp
- (xi) Demand draft, in case fee is paid by DD
- (xii) Details of fee payment by RTGS/ NEFT, if paid through RTGS/ NEFT
- (xiii) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time

(Copies of documents at sl no **(iii) to (ix)** shall be notarized)

- (xiv) Proof of sole proprietor registration with local authorities, in case applying for sole proprietorship (notarized)

(b) In case of corporate surveyors:

- (i) Application in **Form- IRDAI-6-AF** duly completed in all respects.
- (ii) one recent photo of directors/partners
- (iii) Copy of Surveyor and Loss Assessor license of directors/ partners and their Membership details
- (iv) Copy of Certificate of Incorporation issued by ROC in case of company
- (v) Copy of Partnership Deed in case of a firm duly signed by all the partners
- (vi) Copy of Memorandum and Articles of Association of the company
- (vii) Copy of Form no DIR-12 filed with ROC
- (viii) Copy of Form no INC-22/23 filed with ROC
- (ix) Copy of Form 20B/ Form SH7, as the case maybe, filed with ROC
- (x) Copy of TAN
- (xi) Proof of qualification of directors/partners
- (xii) Copy of PAN Card and Address Proof of directors/ partners

- (xiii) Affidavit as stated under **sl no 4 of FORM-IRDAI-6-AF**
 - (xiv) Self addressed envelope of 4.5”x10” with minimum of Rs.40 postage stamp
 - (xv) Work Performance of the company /firm (to be uploaded in soft form for previous **3** financial years) (as per **Form – IRDAI – 12**)
 - (xvi) Demand Draft, in case fee is paid by DD
 - (xvii) Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
 - (xviii) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time
 - (xix) Fit and proper statement as specified in **Schedule-I, Annexure 2.**
(Copies of documents at sl no **(iii) to (xiii)** shall be notarized)
- (4) The application for renewal of license shall be processed taking into account the eligibility criteria, existing, including those set out under **Regulation 3 and 4**, at the time of receipt of such application.
 - (5) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for renewal of license, shall renew the same
 - (a) in **Form-IRDAI-7-LF** in case of individuals including sole proprietor
 - (b) in **Form-IRDAI-8-LF** in case of Corporate Surveyor and Loss Assessor in the format given in the **Schedule-II** to these regulations.
 - (6) A license so renewed shall be valid for three years from the date of renewal unless cancelled earlier.

7. Procedure where application for grant of license is rejected:

- (1) the application for grant of license can be rejected on the following grounds:
 - (a) does not conform with or the applicant fails to comply with the provisions of the Act and these Regulations.
 - (b) if the Authority is of the opinion that the grant of license is not in the interest of the policy holders.
Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.
- (2) Where the application for grant of license is rejected, a refund of 60% of the applicable fee received shall be made to the applicant.
- (3) The rejection of application as stated under **(1) above**, shall be communicated to the applicant within thirty days of such rejection, stating the grounds for rejection thereof.
- (4) Any applicant aggrieved by the decision of the Authority may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under **Sub-Regulation (1) above** is received by him.

8. Procedure where application for renewal of license is refused:

- (1) The Authority may refuse the application for renewal of license to a Surveyor and Loss Assessor on any of the following grounds, if the applicant:
 - (a) makes a statement which is false in material particulars with regard to the eligibility for obtaining license
 - (b) if the applicant suffers from any of the disqualifications provided under Section 42D read with Section 64UM of the Act.
Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity, to the person concerned, of being heard, before such refusal.
- (2) The refusal of license referred to in **Sub-Regulation (1) above** shall take effect from the date of such refusal and no Surveyor and Loss Assessor shall carry out any survey and loss assessment work thereafter, including the jobs on hand. All such pending jobs shall be returned by him/ it to the insurer or the insured, as the case may be.
- (3) Any applicant aggrieved by the decision of the Authority may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under **Sub-Regulation (1) above** is received by him.
- (4) A surveyor whose license renewal is refused for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of one year from the date of such refusal, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under **Regulation 3** or **Regulation 4** as the case may be.

9. Issue of Duplicate License

- (1) A person to whom a license has been issued or renewed, shall, if such license is lost, destroyed or mutilated, make an application in **FORM-IRDAI-9-AF** given in the **Schedule II** to these Regulations to the Authority requesting for issuance of duplicate thereof, along with a fee as specified by the Authority.
- (2) The application referred to in **Sub-Regulation (1) above** shall contain full particulars of license and as to how the loss/destruction or mutilation has occurred, and the application shall be accompanied by mutilated pieces, if any, in possession of the person making the application.
- (3) The Authority, on being satisfied, may issue a duplicate license in **FORM-IRDAI-10-LF** as given in the **Schedule-II** to these Regulations.
- (4) The duplicate license so issued shall remain in force for the remainder of the period of validity of the license, unless cancelled earlier, and the duplicate shall bear an endorsement thereon that it is a duplicate.

CHAPTER III

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS COMMITTEE

10. Constitution

- (1) The Authority shall constitute a Committee to be called "Surveyors and Loss Assessors Committee" (herein after referred to as "the Committee"), for assisting the Authority on the matters and affairs relating to Insurance Surveyors and Loss Assessors.
- (2) The Committee shall consist of the following persons:-
 - (a) an Officer of the Authority;
 - (b) two representatives of the Surveyors and Loss Assessors;
 - (c) a representative of Insurers from Public sector and a representative of insurers from Private sector
 - (d) a representative of the policy holders;
- (3) The Committee will have tenure of three years and will be presided over by the officer of the Authority.

11. Functions of the Committee.-

- (1) The Committee shall perform the following functions:-
 - (a) recommending the syllabus for examination and practical training requirements for persons to qualify as Surveyors and Loss Assessors;
 - (b) recommending to the Authority for its consideration to recognise foreign qualifications and training for the purpose of grant of license to act as Surveyors and Loss Assessors;
 - (c) improving and developing the status and standard of the profession of Surveyors and Loss Assessors;
 - (d) coordinating with educational or other institutions, having as their objectives, wholly or partly, similar to those of the profession of Surveyors and Loss Assessors, in such manner as may be conducive for the attainment of common objectives;
 - (e) looking into the matters of professional misconduct, indiscipline, non-adherence to code of conduct by Surveyors and Loss Assessors;
 - (f) discharging any other function, which may be entrusted by the Authority, from time to time.
- (2) The Committee may meet as frequently as necessary to conduct its affairs and the Officer of the Authority shall decide the venue, time and frequency of such meetings.
- (3) The members of the Committee, other than the officer of Authority will be entitled to such allowances as may be determined by the Authority from time to time.

12. Appointment of Surveyors and Loss Assessors

- (1) No person or a firm or a company shall act as a Surveyor and Loss Assessor without being licensed under **Regulation 3** or **Regulation 4**, as the case may be.
- (2) Surveyors and Loss Assessors shall be appointed either by insurers or insured to assess loss under a policy of insurance in respect of
 - (a) Motor insurance – above Rupees fifty thousand
 - (b) Other than motor insurance – above Rupees one lakh
- (3) The above mentioned limit shall be reviewed every three years by the Authority.

- (4) Such appointment of a surveyor for assessment of loss shall be made within 72 hours from the time the occurrence of loss was known to the insurer or insured, as the case may be. Notice of such appointment shall be sent in writing to the insurer or insured as the case may be and shall form part of the claims settlement process.
- (5) A Surveyor and Loss Assessor shall assess losses of only those departments specified in his/her or its license.

CHAPTER IV

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

13. It shall be the duty of every Licensed Surveyor and Loss Assessor to investigate, manage, quantify, validate and deal with losses (whether insured or not) arising from any contingency, and report thereon to the insurer or insured, as the case may be., All Licensed Surveyors and Loss Assessors shall carry out the said work with competence, objectivity and professional integrity and strictly adhere to the code of conduct as stipulated in these Regulations.
- (1) The following, shall, inter alia, be the duties and responsibilities of a Surveyor and Loss Assessor:-
- (a) declaring whether he has any interest in the subject-matter in question or whether it pertains to any of his relatives, business partners or through material shareholding;
Explanation: For the purpose of this clause 'relatives' shall mean any of the relatives as defined in Sub-section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
 - (b) Bringing to the notice of the Authority, any change in the information or particulars furnished at the time of issuance of license, within a period not exceeding fifteen days from the date of occurrence of such change, that has a bearing on the license granted by the Authority
 - (c) maintaining confidentiality and neutrality without jeopardising the liability of the insurer and claim of the insured;
 - (d) conducting inspection and re-inspection of the property in question suffering a loss;
 - (e) examining, inquiring, investigating, verifying and checking upon the causes and the circumstances of the loss in question including extent of loss, nature of ownership and insurable interest;
 - (f) conducting spot and final surveys, as and when necessary and comment upon franchise, excess/under insurance and any other related matter;
 - (g) estimating, measuring and determining the quantum and description of the subject under loss;
 - (h) advising the insurer and the insured about loss minimisation, loss control, security and safety measures, wherever appropriate, to avoid further losses;
 - (i) commenting on the admissibility of the loss as also observance of warranty conditions under the policy contract;
 - (j) surveying and assessing the loss on behalf of insurer or insured;
 - (k) assessing liability under the contract of insurance;
 - (l) pointing out discrepancy, if any, in the policy wordings;
 - (m) satisfying queries of the insured/insurer and of persons connected thereto in respect of the claim/loss;
 - (n) recommending applicability of depreciation, percentage and quantum of depreciation;
(o) giving reasons for repudiation of claim, in case the claim is not covered by policy terms and conditions;
 - (p) taking expert opinion, wherever required;
 - (q) commenting on salvage and its disposal wherever necessary.
- (2) A surveyor or loss assessor whether appointed by insurer or insured, shall submit his report to the insurer as expeditiously as possible, but not later than 30 days of his appointment, with a copy of the report to the insured giving his comments on the insured's consent or otherwise on the assessment of loss. Where, in special circumstances of the case, either due to its special and complicated nature, the surveyor shall under intimation to the insured, seek an extension, in any case not exceeding six months from the insurer for submission of his report.
- (3) In cases where the Survey report is pending due to non completion of documents, the surveyor may issue the final survey report independently based on the available documents on record, giving minimum three reminders in writing to the insured.

- (4) If an insurer, on the receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on such incomplete issues. Such a request may be made by the insurer within 15 days of the receipt of the original survey report.

Provided that the facility of calling for an additional report by the insurer shall not be resorted to more than once in the case of a claim.

- (5) The surveyor on receipt of this communication shall furnish an additional report within three weeks of the date of receipt of communication from the insurer.

CHAPTER V

CATEGORISATION OF SURVEYORS

14.

- (1) A Surveyor and Loss Assessor shall be categorized on the basis of level of membership allotted by the Institute. The three levels of membership in the Institute viz Licentiate, Associate and Fellow, shall be as defined in these Regulations.
- (2) Every Surveyor and Loss Assessor, whether a company or firm or an individual, shall be eligible to carry on the work as a surveyor and loss assessor, as per the level of membership allotted by the Institute and specified in the license.

15. Functions of the Institute

- (1) The Institute shall grant appropriate membership to the person eligible, within 15 days from the date of receipt of application for membership. The license issued by the Authority to act as a Surveyor and Loss Assessor shall be based on the following criteria, including any other criteria as may be specified:

(a) Membership

- (i) Licentiate Member: Any person holding a valid license issued by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor, and fulfils other criteria set out in **Regulation 15 (1) (b)**.
- (ii) Associate member: Any Licentiate Member and holding valid license continuously for a period not less than 8 years and fulfils other criteria set out in **Regulation 15 (1) (b)**.
- (iii) Fellow Member: Any Associate Member and holding valid license continuously for a period not less than 16 years and fulfils other criteria set out in **Regulation 15 (1) (b)**.

Provided that any person holding a valid license issued by the Authority as on date of notification of these Regulations may be issued appropriate level of membership by the Institute taking into account his/her number of years of continuous previous service as Surveyor and Loss Assessor.

(b) Training, examination, seminars and workshops:

- (i) The Institute shall conduct training, examination, seminars and workshops in India for all the Members and every Member, in order to upgrade his/her level of Membership, shall undergo such training, examinations, seminars and workshops as specified below:
- (ii) In addition to the period of practical training that an applicant seeking a license to act as a Surveyor and Loss Assessor is required to undergo, he/ she shall undergo training conducted by the Institute commensurate to their level of membership, for the minimum period as specified below:

Licentiate – 100 hrs

Associate - 50 hrs

Fellow - 25 hrs

- (iii) The Institute or any other institution authorized by the Authority, shall conduct seminars and workshops and every Member shall attend a minimum number of such seminars and workshops as specified below:

Licentiate- 5

Associate- 8

Fellow- 10

Provided that such training, examination, seminars and workshops of the Institute shall have prior approval of the Authority

Provided that all existing licensed Surveyors and Loss Assessors shall become the Members of the Institute and shall apply to the Authority for grant of modified license indicating the level of Membership allotted by the Institute in accordance with these Regulations.

Provided further that notwithstanding grant of particular level of membership, the total number of continuous years will be reckoned from the time of grant of first license as Surveyor and Loss Assessor.

Provided further that such members shall be required to comply with the requirements on training, evaluation, seminars and workshops for upgrading the existing levels of membership within the time limit as may be prescribed by the Authority from time to time.

- (2) In case the Institute declines any level of membership to the Surveyor and Loss Assessor including student membership, the person can appeal to the Authority.
- (3) The Authority shall consider such an application and communicate its decision thereon to the person and Institute in writing within six weeks of the receipt thereof which shall be binding on both.
- (4) In case the Institute does not comply with the decision of the Authority, the Authority may then issue the license to the applicant on merits of the case without the accompanying membership of the Institute, and such decision would be binding on the Institute.
- (5) The Authority may from time to time issue such guidelines, directions or such other communication for the efficient conduct of the affairs of the Institute.

CHAPTER VI

CODE OF CONDUCT

16. Every Surveyor and Loss Assessor shall-

- (1) behave ethically and with integrity in the professional pursuits. Integrity implies not merely honesty but fair dealings and truthfulness;
- (2) strive for objectivity in professional and business judgment;
- (3) act impartially, when acting on instructions from an insurer in relation to a policy holder's claim under a policy issued by that insurer;
- (4) conduct himself with courtesy and consideration to all people with whom he comes into contact during the course of his work;
- (5) not accept or perform survey works in areas for which he does not hold a license;
- (6) not accept or perform work which he is not competent to undertake, unless he obtains some advice and assistance, as will enable him to carry out the work competently;
- (7) carry out his professional work with due diligence, care skill and with proper regard to technical and professional standards expected of him;
- (8) keep himself updated with all developments relevant to his professional practice;
- (9) at all times maintain proper record for the work done by him and comply with all relevant laws;
- (10) assist and encourage his colleagues to obtain professional qualifications, and, in this behalf, provide free article ship and/or practical training for a period of twelve months;
- (11) work only as Surveyor and Loss Assessor in insurance business and not undertake any business advisory or consultancy service or work which could give rise to conflict of interest;
- (12) not perform any outsourced activity other than those permitted by the Authority's Outsourcing Guidelines.
- (13) maintain a register of survey work as specified in **FORM-IRDAI-11**, containing the relevant information, such as, details of insured, insurer, policy number, date of allocation of survey work, date of submission of survey report, amount of claims assessed, such fee details and shall keep important records of the survey reports, photographs and other important documents for a period of three years and furnish the same and such other specified returns, as and when called for by the Authority or by any investigating authority or the insurer. However, in case of litigation involving above information/ records/ documents/ photographs etc, the same shall be maintained till the conclusion of the litigation.

- (14) acknowledge receipt of all monies received in connection with fee or remuneration received for carrying out survey work.
- (15) disclose to all parties concerned his appointment, where the acceptance or continuance of such an engagement may materially prejudice, or could be seen to materially affect the interests of any interested party. As soon as a conflict of interest is foreseen, every Surveyor and Loss Assessor shall notify all interested parties immediately and seek instructions for his continuance;
- (16) not disclose any information, pertaining to a client or employer or policy holder acquired in the course of his professional work, to any third party, except, where consent has been obtained from the interested party, or where there is a legal right or duty enjoined upon him to disclose;
- (17) neither use nor appear to use, any confidential information acquired or received by him in the course of his professional work, to his personal advantage or for the advantage of a third party.
- (18) shall undertake survey jobs in a company /firm only as an employee/ director/ partner.
- (19) Every Surveyor and Loss Assessor who is an employee of an insurer shall only survey and assess the loss and not involve himself/ herself in settlement of claim.
- (20) Comply with the provisions of AOA, regulations, and Code of Ethics framed by the Institute from time to time.
- (21) Comply with all the provisions of the Act, the IRDA Act, the Rules and Regulations made there under and other orders, directions and guidelines issued by the Authority from time to time.

CHAPTER VII

Trainee Applicants

17.

- (1) A Student Member seeking a license to act as a Surveyor and Loss Assessor shall apply and enrol with Authority as Trainee in **FORM-IRDAI-13** as given in the Schedule II to these Regulations, after having obtained the willingness to impart training from his trainer in **FORM-IRDAI-14** as given in the Schedule II to these Regulations, and shall undergo practical training for a period of not less than twelve months with a licensed Surveyor and Loss Assessor as specified below:
- (2) During the period of training, every applicant who is a Student Member of the Institute and enrolled as trainee shall comply with the code of conduct and code of ethics prescribed by the Institute and duly approved by the Authority and shall include the following:
 - (a) Behave ethically and with integrity. Integrity implies not merely honesty but fair dealings and truthfulness.
 - (b) Not accept/perform/undertake/any survey works and not issue any survey report without holding a valid license issued by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor
 - (c) Maintain at all times, proper record of training details duly certified by the trainer surveyor,
 - (d) Disclose all information relating to any proceedings initiated or investigation pending or carried out/against him/her or by any agency and details of the outcome thereof"
 - (e) File within 15 days, any change in information already submitted to the Authority
 - (f) Any other instructions specified by the Authority/Institute from time to time.
- (3) The surveyor under whom a trainee will be trained shall be an Associate or Fellow member of the Institute.
- (4) The trainee shall maintain a quarterly record of training received in **FORM-IRDAI-15** during the period and shall get it certified by the Surveyor and Loss Assessor under whom he has been trained and the certificate in **FORM-IRDAI-16** shall be attached to the application for seeking grant of a license under **Regulation 3**;
- (5) The license to be granted to an applicant to act as a Surveyor and Loss Assessor shall be in that particular area for which he has been trained;
- (6) If a Surveyor and Loss Assessor already licensed by the Authority seeks to obtain a similar license for acting as a surveyor in a department of general insurance business other than for which he has been licensed, he shall undergo a period of training of not less than six months under a licensed Surveyor and Loss Assessor holding either a Fellow or Associate Membership to act in that particular area.

- (7) Those who have enrolled as trainees with the Authority as on the date of notification of these Regulations shall become Student Members of the Institute and shall comply with the criteria set out in **Regulation 3** for grant of license to act as Surveyor and Loss Assessor.
- 18.** The Authority may also prescribe the passing by an applicant of an examination on the successful completion of the training prescribed above for the grant of a license under **Regulation 3**. The examination may be conducted either by the Insurance Institute of India or by an institution authorized by the Authority.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

19. Register of Licensed Insurance Surveyors and Loss Assessors

- (1) The Institute shall maintain a Register of all licensed Insurance Surveyors and Loss Assessors containing the following particulars:-
- (a) full name, date of birth, domicile, residential and professional address;
 - (b) the date on which name is entered in the Register;
 - (c) license number and period of validity;
 - (d) professional and other qualifications;
 - (e) areas of survey work licensed to be undertaken;
 - (f) level of membership in the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors;
 - (g) any other particulars as may be prescribed by the Authority from time to time.
- Provided that in the case of Corporate Surveyors, the particulars to be entered in the register, shall be with reference to every director or partner, as the case may be.
- (2) The Institute shall periodically, delete the particulars of Surveyors and Loss Assessors, who are no longer alive, or whose license has been cancelled from the Register.
- (3) The Authority may cause the publication of the relevant particulars entered in the register, as may be considered appropriate by it, at such intervals and in such manner, as may be deemed fit.

20. Submission of returns by Surveyor and Loss Assessor -

Every licensed Surveyor and Loss Assessor shall:-

- (1) furnish such document, statement, account, return or report, as and when required by the Authority, and comply with such directions, as may be issued by the Authority in this behalf, from time to time; and
- (2) submit an annual statement in **FORM-IRDAI-12** given in the Schedule-II to these Regulations.
- (3) Every corporate Surveyor and Loss Assessor shall submit a copy of Audit Report and Annual Statement of Accounts by 30th September every year.

21. Submission of reports by insurers: -.

Every insurer shall submit to the Authority the following:

- (1) File with the Authority, annually, a copy of the policy formulated by the company, on the methodology followed for appointment of surveyors, utilization of surveyors and allotment of survey jobs to licensed surveyors.
- (2) File with Authority, changes if any made in the policy submitted as stated at **sub-regulation (1) above**, within 15 days of such change with reasons thereof.
- (3) Quarterly report on misconduct of licensed surveyors, including, action, if any taken, on the employee surveyors under the employment rules.
- (4) Half-yearly report giving the number of claims reported, number of claims surveyed by in-house/ individual/ corporate surveyors, number of claims settled, amounts paid, number of claims outstanding, amounts involved, reasons for claims outstanding, time taken for claim settlement, claims settlement ratio.

The report may be prepared State-wise, Surveyor wise, Amount-wise or on any other parameter considered appropriate and furnished to the Authority.

22. Inspection

- (1) The Authority, may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of survey work, books, records and documents, or to investigate any bonafide complaint received against a Surveyor and Loss Assessor.
- (2) The inspecting authority shall, as soon as possible, submit an inspection report to the Authority.
- (3) A Surveyor and Loss Assessor shall provide the information sought by the inspecting authority for the purpose of carrying out inspection/investigation and extend all possible co-operation to facilitate the conduct of its work.
- (4) The Authority shall, after consideration of the inspection report, communicate the findings of the inspecting authority to the Surveyor and Loss Assessor, and shall take appropriate action after giving the Surveyor and Loss Assessor a reasonable opportunity of being heard.

23. Suspension of license:

- (1) The Authority may suspend a license already granted, to a Surveyor and Loss Assessor (individual/corporate), if he/it:
 - (a) Fails to discharge the duties and responsibilities in a satisfactory and professional manner; or
 - (b) Violates the code of conduct specified in these Regulations or
 - (c) Makes a statement which is false in material particulars with regard to eligibility for obtaining license or renewal thereof or in any of the activities transacted by him or them or the matters connected therewith as a Surveyor and Loss Assessor or has after the issue or renewal of such license, acquired any of the disqualifications provided under section 42D of the Act; or
 - (d) Has contravened any of the provisions of the Act, or the IRDA Act, or any rules or regulations made under those Acts, or any order or direction issued by the Authority; or
 - (e) Has been negligent in discharge of his obligations; or
 - (f) Has been sentenced to a term of imprisonment by any court of law

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard before such suspension.

- (2) The Authority may also suspend the license if it is of the opinion based on material information that the continuation of such license would be prejudicial to the interest of the policy holders, in which case the opportunity of personal hearing may not be provided.
- (3) The Authority may in addition to the suspension of the individual license of director/ partner of a corporate surveyor may also suspend the license of the corporate surveyor and loss assessor for any act committed as stated at **sub-regulation 1 and 2 above**.
- (4) The suspension of license shall be for such period as may be indicated in the order and shall take effect from the date of the order of suspension until revoked.
- (5) During the period of suspension, the holder of such a suspended license shall not carry out any survey and loss assessment work including the survey jobs on hand and shall return all such pending jobs to the insurer or the insured, as the case may be.

24. Cancellation of license

- (1) Where it is found that a Surveyor and Loss Assessor suffers from any of the disqualifications mentioned in section 42D of the Act or has knowingly contravened any provisions of the Act or the IRDA Act, or the Rules or Regulations made under those Acts or any order or directions or instructions issued by the Authority, the Authority may, cancel his license, with effect from such date as may be specified by it.

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard, before cancellation

Provided further that the powers conferred on the Authority in this Sub-Regulation are without prejudice to the powers conferred on it by Section 64UM of the Act.

- (2) The Authority may also cancel the license if it is of the opinion that the continuation of such license would be prejudicial to the interests of policyholders.
- (3) A surveyor whose license has been cancelled for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of one year from the date of such cancellation, and, such an application shall be

treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under **Regulation 3** or **Regulation 4**, as the case may be.

25. Procedure for suspension and cancellation of license:

- (1) Subject to Regulation 24(1), a licensed Surveyor and Loss Assessor whose license is proposed to be suspended or cancelled by the Authority may be granted an opportunity of hearing before suspending or cancelling the license.
- (2) Upon receipt of the order of suspension, the suspended Surveyor and Loss Assessor may file a representation before the Authority for revocation of suspension. The Authority may designate an officer who, upon considering the representation, shall pass such an order or orders as he/she deems fit which shall be communicated to the suspended Surveyor and Loss Assessor.
- (3) If, on the basis of the order of the designated person, the Authority revokes the order of suspension and restores the license of the Surveyor and Loss Assessor, it shall indicate the date from which such restoration will take effect.
- (4) The license granted by the Authority may be cancelled by the Authority where the suspended Surveyor and Loss Assessor does not represent within a period of 45 days from the date of order of suspension.
- (5) Any decision of suspension, cancellation or revocation of license shall be intimated to the concerned surveyor and loss assessor.

26. Power to clarify

In case of any doubt or ambiguity with regard to any of these Regulations, the same shall be clarified by Chairperson of the Authority.

27. Transitory Provisions

A license issued before the commencement of these Regulations, by the Authority shall be deemed to have been issued in accordance with these Regulations.

Provided that all those Surveyors and Loss Assessors who are not compliant with the requirements stipulated in clause (a) and (b) of sub-section 1 of Section 64UM of the Act shall become compliant within a period of three years from the date of notification of these Regulations failing which their license shall cease to be valid automatically.

Schedule – I

Annexure-1

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

Qualification Criteria for Enrolment and Licensing of Surveyors and Loss Assessors (Regulation 3)

S.No.	Department	Academic/technical/Professional/Insurance Qualifications
1.	Fire	B.E./ B. Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent, C.A./ I.C.W.A., A.I.I.I./ F.I.I.I./Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM
2.	Marine Cargo	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture)/ certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority, Degree or diploma in Naval Architecture of a recognized University or Institute./ A.I.I.I./ F.I.I.I./ Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM
3.	Marine Hull	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture)/ certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority,
4.	Engg.	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent , Diploma of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent thereof
5.	Motor	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent thereof (Mechanical/ Automobile); Diploma in Mechanical Engineering/ Automobile Engineering of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent thereof ;

6.	Miscellaneous	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.I.M.I.E. or its equivalent; Diploma of 3 years duration from a recognised institution or its equivalent; C.A./ I.C.W.A.; A.I.I.I./ F.I.I.I./ Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM;
7.	LOP	C.A./ I.C.W.A.; A.I.I.I./ F.I.I.I
8.	Crop Insurance*	B. Sc. in Agricultural Science from a recognised University.

* The details of the training and examination for Crop Insurance shall be notified separately.

Note:

1. In order to qualify for enrolment and licensing, an applicant should have secured a degree or diploma of a recognized Institute after attending full time course and passing the examination as a regular student.
2. All technical Degree/Diploma stated above shall be obtained from AICTE approved Institutions.

SCHEDULE - I

Annexure-2

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

FIT AND PROPER CRITERIA (Regulation 4)

1.The applicant should satisfy the Authority that: -

- (1) He is a fit and proper person to be licensed as Surveyor and Loss Assessor
- (2) The directors/partners of corporate surveyor are fit and proper to hold their offices
- (3) All of its substantial shareholders/promoters/partners are fit and proper persons;

2.Declaration and Undertaking for directors/ partners/ promoters of corporate surveyors

- (1) 'Declaration and Undertaking' prescribed for the purpose of conducting due diligence to determine the 'fit and proper' status of surveyors and loss assessors and directors/ partners/ promoters of corporate surveyors is given below. Henceforth, surveyors and loss assessors shall use the below format for submitting declaration and undertaking for the purpose of grant of license and/or renewal thereof.

(2)A separate form needs to be submitted by each individual applicant:

	Name of the Surveyor (Corporate Surveyors)	
I.	Personal Details	
	a.	Full Name
	b.	Position in Surveyor entity
	c.	Date of Birth
	d.	Educational Qualifications
	e.	Relevant Background and Experience
	f.	Permanent Address
	g.	Present Address
	h.	E-mail address/ telephone numbers
	i.	PAN under the Income Tax Act Name and address of Income Tax Circle
	j.	Address Proof
	k.	Relevant knowledge and experience in Insurance
l.	Any other information relevant to position	

II.	Relevant FIT & Proper Criteria If answer is YES to any of the questions; please give full details.	
a.	Have you ever registered or obtained license from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA etc.	
b.	Have you carried on business under any name other than the name stated in this Application	
c.	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific license registration or other authorization is required by law	
d.	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or license or registration by any regulatory authority to carry on any business activity	
e.	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority	
f.	Have you been convicted of any offence or subject to any pending proceedings under any law	
g.	Have you been banned from entry at any profession / occupation at any time.	
h.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations	
i.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against you	
j.	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
k.	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
l.	Have you at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
m.	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDAI, DCA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto , it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
n.	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any license issued by the IRDAI	
o.	Any other explanation / information in regard to items I and II and other information considered relevant for judging fit and proper	

III.	Undertaking	
	I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to issuance of my license to act as Surveyor and Loss Assessor, which are relevant to the information provided above.	
	Place	Signature
	Date	Name

Schedule II

Application Forms and Licensing formats

FORM - IRDAI - 1 - AF

[See Regulation 3(1)]

APPLICATION FOR A LICENSE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR (INDIVIDUAL)

Application for Fresh License is accepted online only on www.irdabap.org.in

Applicant is required to enrol online for training and qualify professional exams before applying for fresh license. For enrolment go to www.irdabap.org.in

CHECKLIST

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the Student Membership Certificate issued by the *IIISLA (mandatory)* "details are available on www.iiisla.co.in"
- 2) To make online payment of fees (as mentioned in the Regulations) through "NET BANKING /DEMAND DRAFT/ NEFT/ RTGS" during application submission.
- 3) To attach scanned copy of Degree/ Diploma attested by Notary/ Magistrate.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S. No. 2 of the application form.
- 5) To enclose attested and scanned documents in response to Q. No.'s 4, 8, 9, 10 & 11. The answers to which are a must.
- 6) To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.
- 7) Send physical copies of application, uploaded documents and self addressed envelope of 4.5"X10" with Rs.40 postage stamp to IRDAI. These are mandatory for grant of license.
- 8) To attach Fit and Proper statement as mentioned in Regulation 3 in prescribed format.

Notes: Read with **Regulation 3**

- 1) The attention of the applicant is drawn to Section 102(a) of the Insurance Act 1938, which provides that "if any person, who is required under this Act, or rules or regulations made there under to furnish any document, statement, account, return or report to the Authority, fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty of one lakh rupees for each day during which such failure continues or one crore rupees, whichever is less".
- 2) An individual can apply for only one license, which will entitle him to act as a Surveyor and Loss Assessor for any insurer.
- 3) Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initialled by the applicant.
- 4) An applicant must be at least 18 (eighteen) years of age on the date of submission of the application. In the case of any applicant declaring his age as 18 years, the exact date of birth should be stated against item no 6 of the application. If required the applicant shall furnish proof of age.
- 5) A notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
- 6) Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

- 7) As the license is issued bilingual viz. Hindi and English, the applicant may like to indicate how he spells his name in Hindi. It is, therefore, advised that the name and address may be written in bilingual form.

FORM - IRDAI - 1 - AF

1. I, student member of the Institute, request that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to me for the following department

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Please tick								

Student Membership Details... (to upload soft copy of the Membership Certificate and ID card issued by the Institute)

2.I hereby declare that

- (1) I have not been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- (2) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or of abetment or attempt to commit any such offence by a Court of Competent Jurisdiction.
- (3) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurer.
- (4) I shall not violate the code of conduct specified by the Regulations made by the Authority.
- (5) I possess the requisite qualifications and practical training as specified by the Regulations made by the Authority.
- (6) I have passed such examination as specified by the Regulations made by the Authority.

3.I also declare that the particulars given below are true:

- (1) Full Name (Shri/Smt/Kum)[in English & Hindi]
- (2) Father/Husband's Name
- (3) Present address [in English & Hindi]
 - Address1
 - Address2
 - Address3
 - City/Town/Village
 - District
 - State
 - Country
 - Pin code
- (4) Permanent address
 - Address1
 - Address2
 - Address3
 - City/Town/Village
 - District
 - State
 - Country
 - Pin code

4.Qualification

- (1) Academic / Professional
- (2) Insurance
- (3) Training Attended

(Nature – Duration for all of the above)

5.Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

6. Date of Birth

7.Sole Proprietor (Name if applicable)

8.Practical Training Details (Please enclose the Training Completion Certificate obtained from the surveyor/ corporate surveyor)

Name of the Surveyor/ Corporate surveyor	Departments allocated to surveyors/ Corporate Surveyor	Level of Membership allotted to the Surveyor/ Corporate surveyor	Period of training undergone (Please mention dates)	Name of person(s) under whom training undertaken	Areas Covered	Result

9. Experience Details:

(1) Whether the applicant was employed with any insurance company:

(2) Job Experience in previous employment other than insurance surveyor, if any:

(3) Details of other business/employment:

10. Occupation status:

- Student
- Professional
- Business
- Employee
- Service
- Housewife
- Others ...

11. Employment details:(In chronological order of employment).

(1) Whether applicant is currently employed? Yes/No

(2) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/ Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

(3) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

12.Have you ever held a license to act as a Surveyor and Loss Assessor?

If Yes, please provide details:

License No.
 Date of Issue
 Expiry Date

13. Fee Payment: NET BANKING/DEMAND DRAFT

Fee applicable for Fresh License: Rs.1000/- plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time.

14. Declaration:

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

FORM-IRDAI-2-LF

[See Regulation 3(9)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

LICENSE NO.

LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER THE INSURANCE ACT, 1938

(Individual)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address House No.....Street.....

Town/ District State.....Pin code.....

* working as sole proprietor ofhaving Membership No of the Institute and having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorised under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 to act as Surveyor and Loss Assessor for a period of three years from

This License will expire on DD-MM-YYYY

Name is allocated the following departments and Level of Membership:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of License Holder.....

.....Designated Person

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a Surveyor and Loss Assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDAI- 3 - AF

[See Regulation 4(1)]

APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR A LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

Application for fresh Corporate Surveyor license is accepted online only on www.irdabap.org.in

Checklist

Please ensure the following:

1. To enclose a copy of the Membership certificate of directors/partners issued by the IISLA (**mandatory**) "details are available on www.iisla.co.in".
2. To make online payment of fees (as mentioned in these Regulations) through "Net Banking" during application submission.
3. To attach scanned copies ready of Degree/ Diploma /Technical qualifications attested by Notary/ Magistrate only.
4. To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S. No. 2 of the application form.
5. Attach attested and scanned copies of documents wherever required.
6. Send Self addressed envelope 4.5"X10" with Rs.40 postage stamp to IRDAI.
7. To attach Fit and Proper statement as mentioned in **Regulation 3** in prescribed format.

Notes: Read with **Regulation 4**

1. The attention of the applicant is drawn to Section 102(a) of the Insurance Act 1938, which provides that if any person, who is required under this Act, or rules or regulations made there under to furnish any document, statement, account, return or report to the Authority, fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty of one lakh rupees for each day during which such failure continues or one crore rupees, whichever is less.
2. A firm or company including group companies can apply for only one license which will entitle it to act as a Surveyor and Loss Assessor.
3. Any correction or alteration made in the application should be initialled by the applicant.
4. Name of the company should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
5. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one Corporate Surveyor.
6. All directors shall possess license to act as Surveyor and Loss Assessor.
7. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
8. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDAI for grant of modified license. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
9. The fee (as may be specified by Authority from time to time) to be applied depends on the highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm.
10. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against Sl.No.8 of the application form.
11. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
12. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

FORM - IRDAI- 3 – AF

1. It is requested that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to our Firm/Company for the following departments and level of membership allotted to our directors/partners under their individual surveyor license:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Name of director/partners, their individual License-Details & level of Membership								

2.It is hereby declared that-

- (1) No director/ partner of our Company/Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- (2) No director/ partner of our Company/Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction.
- (3) No director/ partner of our Company/Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurer or in the course of an investigation of the affairs of an insurers.
- (4) No director/ partner of our Company/Firm is a minor.
- (5) No director/ partner of our Company/Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- (6) All director(s)/ partner(s) of our Company/Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- (7) All director(s)/ partner(s) persons of our Company/Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

(The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

3. It is also declared that the particulars given below are true.

- (1) Name of Company/Firm (In English & Hindi)
- (2) Address of Company/Firm (In English & Hindi)
(Registered/Corporate Office)
- (3) Details of Branch Office/s (If any)
- (4) Details of Employees

Licensed surveyors employed in the firm & Level of membership	Designation	Employment Period		SLA No.	Date of Expiry
		From Date	To Date		

4. It is also declared that the name of all the director/s & partner(s) with their addresses and their date of birth submitted:

- (1) have been in practice as a surveyor/ loss assessor on the 31st May, 1970 or;
- (2) hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or
- (3) be a fellow or associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India or
- (4) possess actuarial qualifications or hold a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to insurance, or
- (5) hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or
- (6) possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56A

(N.B. 1: In the case of each of the partners/directors claiming to come under item (a) above and not being eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a Certificate sworn before a Magistrate or a Notary Public should be forwarded and in the case of each of the partners/Directors claiming to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/ certificates with one attested copy each, or copies of the diplomas/ certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/ certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals)

5.Details of Directors (details of multiple directors is captured)

- (1) SLA No.
- (2) Membership details of Institute:
- (a) Membership/ ID card No -----
- (b) Date of Issue of ID card -----
- (c) Level of membership allotted
- (d) Date of Expiry
- (3) Name
- (4) Address
- (5)Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

(6)Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, corporate surveyor, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

N.B.: Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM-IRDAI-1-AF - Application for New License) from such a person should also be submitted.

6.Did the Firm/Company ever hold a license? If Yes, provide details below and upload copy of old license

- (1) SLA No.
- (2) Date of Issue
- (3) Date of expiry
- (4) Reason for Non renewal

7.Fee Payment: Net Banking /Demand Draft/NEFT/RTGS

Fee applicable for Fresh License: Rs.1000/- plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time.

8. Declaration:

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

(duly authorized by the Company/Firm)

FORM - IRDAI - 4 LF

[See Regulation 4(13)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

LICENSE NO.

LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

UNDER THE INSURANCE ACT, 1938

(CORPORATE)

Name of the Company/Firm:

Registered Address:

Having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 to act as a Surveyor and Loss Assessor for three years from DD-MM-YYYY.


This License will expire on DD-MM-YYYY.

The following are the details of Directors / Partners along with individual license no., departments and level of Membership allotted:-

	Name of Director/ Partner	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
License and Membership details of directors/partners									

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Name of the directors/Partners



Name

Name

Name ..

Signature

.....

Seal of the Company/Firm

.....

Designated Person

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a Surveyor and Loss Assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDAI - 5 AF**[See Regulation 6(1)]****APPLICATION FOR RENEWAL OF A LICENSE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR
(INDIVIDUAL)****Renewal Application is accepted online only on www.irdabap.org.in**

Checklist

Please ensure the following:

1. To enclose a copy of the membership certificate issued by the IIISLA (**mandatory**) "details are available on www.iiisla.co.in"
2. To submit FORM-IRDAI-12 (annually) online before applying for Renewal and to make online payment of fees (as mentioned in these Regulations) through "Net Banking/ NEFT/ RTGS" or through a Demand Draft to be submitted along with application Form..
3. To attach scanned copy of previous license.
4. To attach scanned copies of qualifications duly attested by notary.
5. to attach scanned copy of affidavit duly notarised against S. No. 2 of the application form.
6. To send Self addressed envelope 4.5" X 10" with Rs.40 postage stamp to IRDAI to send hard copy of the renewed license
7. To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.

Notes: Read with Regulation 6

1. All licensed surveyors shall apply online 30 days before the expiry of the license.
2. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initialled by the applicant.
3. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of license in the form of a declaration as contained against S. No. 2 of the application form.
4. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
5. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change for *grant of modified license by the authority*.

FORM - IRDAI - 5 AF

1. I request that the below license may be renewed for a further period of three years.

(1) Current License Details

- | | |
|----------------------------|-------|
| (a) SLA No. (mandatory) | |
| (b) License Effective Date | |
| (c) Date of Expiry | |

(2) Membership details of Institute:

- (a) Membership/ID card No
- (b) Date of Issue of ID card
- (c) Level of membership allotted
- (3) Name of Surveyor and Loss Assessor
- (4) Permanent Address
- (5) Present Address
- (If change in present address, please upload proof of address)
- (6) Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	CROP INSURAN	LOP
Level of Membership								

2.I declare that since the date of my last application for license:

- (1) I have not been found to be unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- (2) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery of an abetment of or attempt to commit any such Offence by a Court of Competent jurisdiction, and
- (3) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or made any misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to a policy of insurance or the winding up of any investigation of the affairs of an insurer, and
- (4) My license has not been cancelled at any time by the Controller of Insurance/ Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- (5) I declare that I continue to hold the qualification on the basis of which my license mentioned above was issued.
- (6) An undertaking on performance report showing survey work done by me during the last 3 years of the validity period indicating total number of survey work, and amount involved in each category of cases, year-wise and company-wise is attached.
- (7) In addition to surveyor's work, I am also engaged on other occupations, the details of which are given below: Or I am not engaged in any other occupation.
- (8) I have not been disqualified for any of the provisions of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations 2015 neither attracted the disqualification stated in section 42D of the Insurance Act, 1938.

3.Occupation status:

- Student
- Professional
- Business
- Employee
- Service
- Housewife
- Others

4. Employment details:

- (1) Whether applicant is currently employed? Yes/No
- (2) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

(3)Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

5. Whether the applicant has been in practice as a Surveyor and Loss Assessor on the 31st May, 1970? If answer is in YES and the applicant does not possess any of the qualifications stated in Insurance Act, 1938 and rules and regulations made there under the applicant must make a declaration and duly sworn before a Magistrate or a Notary Public.

6. Fee Payment; NET BANKING/ DEMAND DRAFT/ NEFT/ RTGS

A fee of Rs. 100/- plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time.

7. In case license is submitted after expiry upto a maximum period of six months, the license fee will be Rs. 100/- + penalty of Rs. 750/- plus applicable service tax as prescribed by Central Government from time to time (*also attach notarized copy of qualification*).

8. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

Date:

Place:

FORM - IRDAI - 6 - AF**[See Regulation 6(1)]****APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR RENEWAL OF A LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR****Corporate Surveyor Renewal Application is accepted online only on www.irdabap.org.in**Checklist

Please ensure the following:

1. To enclose a copy of the membership certificate of partners/directors issued by the IISLA (*mandatory*) "details are available on www.iisla.co.in"
2. To submit FORM-IRDAI-12 (annually) online before applying for Renewal and to make online payment of fees (as mentioned in these Regulations) through Net Banking NEFT/ RTGS" or through a Demand Draft to be submitted along with application Form.
3. To attach scanned copies ready of Degree/ Diploma/Technical qualification attested by Notary/ Magistrate.
4. To attach scanned copy of affidavit duly notarized against S.No.4 of the application form.
5. To send Self addressed envelope of 4.5" X10" with Rs.40. postage stamp to IRDAI to send a hard copy of the License Certificate.

Notes:

1. The application should be submitted online at least 30 days before the expiry of the license with a renewal fee of Rs.100 + applicable service tax as per approval of GOI may be paid online through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
2. In case application is not submitted in accordance with 1 above or if the application is submitted within six months after expiry of license period, the license fee will be Rs.100/- + penalty of Rs.750/- + service tax as applicable through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
3. The attention of the applicant is drawn to Section 102(a) of the Insurance Act 1938, which provides that if any person, who is required under this Act, or rules or regulations made there under to furnish any document, statement, account, return or report to the Authority, fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty of one lakh rupees for each day during which such failure continues or one crore rupees, whichever is less.
4. A firm or company including group companies can apply for only one license which will entitle it to act as a Surveyor and Loss Assessor.
5. Any correction or alteration made in the application should be initialed by the applicant.
6. Name of the company/firm should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
7. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one company/firm.
8. All directors shall possess surveyor license which shall be duly licensed and categorized.
9. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
10. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDAI for grant of modified license by the Authority. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
11. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against S.No. of 6 of the application form.
12. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
13. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

FORM - IRDAI - 6 – AF

1. Current Corporate Surveyor and Loss Assessor License Details

- (1) SLA no.
- (2) Date of Expiry
- (3) Name of the Firm/Company
- (4) Address of Company/Firm

2. Departments allocated to directors/partners

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
License details of directors/partners and level of membership								

3. It is requested that the above license may be renewed for a further period of three years for the following classes of insurance and level of membership allotted to directors/partners:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
License details of directors/partners and level of membership								

4. It is hereby declared that-

- (1) No director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction;
- (2) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction;
- (3) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurer or in the course of an investigation of the affairs of an insurer; and
- (4) No director/ partner of our Company/ Firm is a minor.
- (5) No director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- (6) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- (7) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

5. It is declared that each one of the Director(s) / partner(s) of the firm who was a partner/ Director when the above mentioned license was issued and who is now a Director(s) / partner(s) continues to satisfy the requirements of clause (D) of subsection (1) of Section 64UM of the Act.

6. It is also declared that all the director(s)/partner(s) whose address, date of birth have been submitted

- (1) have been in practice as Surveyor and Loss Assessor on 26th October, 1968, or
- (2) hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or

- (3) be a fellow or a associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India, or
- (4) possess actuarial qualifications or holds a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to Insurance, or
- (5) hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or
- (6) possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56A.

(The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

[N.B. 1. In the case of each of the director/partner who was not a partner/ Director on the date of last application for license where he claims to come under item (a) above, and is not eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sworn before a Magistrate or a Notary Public should be forwarded with this form; and where he claims to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one of the attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals.

7.Details of Directors/Partners

- (1) Name of the director/partner
- (2)SLA no.
- (3)Date of Expiry

Membership details of Institute:

- (4) Membership ID card No -----
- (5) Date of Issue of ID card -----
- (6) Level of membership allotted
- (7) Name
- (8) Address
- (9) Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
License details and level of Membership								

Note: Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM No.- IRDAI - 1-AF - Application for New License) from such a person should also be submitted.]

(10) Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/ Private Firm, insurance company, corporate surveyor, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

8. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant.....

(Digital Signature)

Name of the Company/Firm:

Corporate Surveyor License No :

Seal of the Company/ Firm

FORM - IRDAI - 7 LF

[See Regulation 6(5)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

LICENSE NO.

RENEWAL OF LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 (INDIVIDUAL)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address

* working as sole proprietor of having Membership no of the Institute and having paid the specified fee and having made the necessary declaration, his/her License No. dated to act as a Surveyor and Loss Assessor is hereby renewed upto day of 20

Name are allocated the following departments and category:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of License Holder.....

Designated Person

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in these Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a Surveyor and Loss Assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDAI - 8 LF

[See Regulation 6(5)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

LICENSE NO.

RENEWAL OF LICENSE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 (CORPORATE)

Name :

Address:

having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 to act as a surveyor/loss assessor for three years from DD-MM-YYYY.

This License will expire on DD-MM-YYYY.

The Directors / Partners are allocated the following departments and categories:-

Sl No.	Name of Director	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
License and Membership details of director									

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of the license Holder.....

Seal of the Firm/Company.....

.....

Designated Person

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in these Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a Surveyor and Loss Assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDAI- 9-AF

[See Regulation 9(1)]

APPLICATION FOR DUPLICATE LICENSE

I regret to inform you that my/ our license no. expiry date DD-MM-YYYY has been

- Lost Destroyed Mutilated

by the following circumstances

.....

2. The fees as specified by the Authority from time to time is also paid below for issue of duplicate license.(Fee Payment: Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS)
3. I/ We , therefore request the Authority to kindly issue a duplicate license in light of the circumstances explained above.

Declaration

I/We, solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. In case the original license is traced, I/We assure you that the same shall be returned to the authority.

.....
Signature of the Applicant

Date:

Place:

Encl.: *mutilated pieces, if any, in possession of the person making the application.*

FORM - IRDAI-10-LF

[See Regulation 9(3)]

NOT TRANSFERABLE

License No.....

DUPLICATE LICENSE

Name Address: House No.
..... Street..... Town/ District StatePin code.....
having paid fee as specified by the Authority from time to time and having made the necessary declaration of having lost/destroyed/mutilated the license is hereby authorized under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 to continue to act as Surveyor and Loss Assessor for the balance period till expiry of the license.

This License will expire on DD-MM-YYYY

The Surveyor and Loss Assessor will continue to work for the following departments:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
level of membership								

Hyderabad, dated the 20.....

Signature of the license Holder.....

Seal of the Firm/Company.....

.....
Designated Person

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in these Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.

2. This license authorizes the license holder to act as a Surveyor and Loss Assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDAI-11**[See Regulation 16(13)]****FORMAT FOR KEEPING RECORDS FOR 3 YEARS**

1. Name of Surveyor

2. License Details

Current SLA No

Date of Expiry

DD-MM-YYYY

S.No.	Name and address of the Insured	Name & Address of the	Policy No.	Dept in which the claim falls	Dt of allocation of survey work	Dt of survey/ inspection	Dt of submission of survey report	Amount of Claim assessed	Survey Fee Details (Amnt/ dt. of payment)

Note: The survey reports, photographs, etc. as mentioned in regulations 16(13) shall be kept separately.

FORM - IRDAI-12**[See Regulation 20(2)]****FORMAT FOR ANNUAL SUBMISSION OF RETURN TO THE AUTHORITY**

1. Name of Surveyor

2. License Details

Current SLA No

Date of Expiry

DD-MM-YYYY

3. Qualifications acquired in the past 1 year (Upload docs for proof)

(1) Academic / Professional.....

(2) Insurance

(3) Training Attended

(Nature – Duration for all of the above)

8. Declaration

I, solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant.....

Date:

Place:

FORM – IRDAI-13
PRESCRIBED FORMAT FOR ENROLLMENT AS TRAINEES
 [See Regulation 17(1)]

Instructions:

- 1) It is mandatory to enclose copy of the Student membership ID issued by the Institute.
- 2) It is mandatory to attach certificate of trainer/surveyor firm along with the enrolment application.
- 3) Enrolment applications will be processed by IRDAI only after receiving online submission of certificate from the selected trainer/Surveyor firm by trainee.
- 4) Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

Details of the Applicant

1. Name
2. Membership Details of the Institute:
Student Membership no
3. Permanent address
4. Present address
5. Communication details

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

6. Date of Birth
7. Nationality
8. Qualifications acquired (Upload docs for proof)
 - (1) Academic / Professional
 - (2) Insurance
 - (3) Training Attended
 (Nature – Duration for all of the above)

9. Occupation status:

Student	<input type="radio"/>
Professional	<input type="radio"/>
Business	<input type="radio"/>
Employee	<input type="radio"/>
Service	<input type="radio"/>
Housewife	<input type="radio"/>
others	<input type="radio"/>

10. Employment details:

- (1) Whether applicant is currently employed? Yes/No
- (2) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/ Private Firm, insurance company, corporate surveyor, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

- (3) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

11. Options for departments, in which you wish to be trained and granted surveyor license

1. _____ 2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____ 6. _____
7. _____ 8. _____

12. Name of Trainer Surveyor :

SLA No.

Membership Details of the Institute:*Membership ID card No**Date of Issue of ID card*

Date of expiry

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Present Address

Communication details.

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

13. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Applicant

Date:

Place:

FORM –IRDAI-14**FORMAT OF CERTIFICATE FROM TRAINER SURVEYOR GIVING ACCEPTANCE TO IMPART TRAINING****[See Regulation 17(1)]**

[Important Instructions: This form needs to be filled by trainer after receiving automated notification regarding enrolment of the trainee surveyor]

1. I, _____ (name of Surveyor) employee/director/partner of M/s. _____ (name of the Corporate Surveyor) and bearer of Surveyor and Loss Assessor License no. _____ & *Membership No* _____ certify that Mr. / Ms. _____ is enrolled for training as a trainee surveyor in the following department/s:

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____
- (7) _____
- (8) _____

2. I have verified the information pertaining to educational qualifications and certify that they are true and correct. *I am a Member of the Institute* and hold a valid Surveyor and Loss Assessor license issued by the Insurance Regulatory And Development Authority of India for the departments I am imparting practical training.

3. I undertake to impart practical training to the best of my knowledge and ability and agree to supervise his/ her performance on a weekly basis, based on records to be maintained by the trainee and keep the Insurance Regulatory and Development Authority of India informed about the progress by way of submission of quarterly reports in the form and manner prescribed.

Surveyor's License No

Date of Expiry

Address

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

Signature of Trainer

Date:

Place:

FORM –IRDAI-15
QUARTERLY REPORT
 [See Regulation 17(4)]

Important Instructions:

FORMAT FOR DAILY DIARY

(TO BE MAINTAINED BY TRAINER SURVEYOR AND SUBMITTED ONLINE IN SOFT FORM ON QUARTERLY BASIS)

Report for the Quarter ending: _____(MM/YYYY)

1. Name of Trainee
2. Address
3. Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

4. Name of Trainer Surveyor / Corporate Surveyor :
- Current License No
- Date of expiry

5.Membership Details

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

6.Date of commencement of training :

Department	Contents of training imparted (Upload in soft form and Attach supporting documents wherever possible)

SIGNATURE OF TRAINER

Date:

Place:

FORM-IRDAI-16
TRAINING COMPLETION CERTIFICATE
[See Regulation 17(4)]

Important Instructions:

TO BE ISSUED BY TRAINER FOR EACH TRAINEE, AFTER COMPLETION OF THE TRAINING

SLA No. <<Trainer Name>> <<Trainer Address>>

Date of Expiry:

Trainer Qualification

Membership ID No.....

Level of Membership

List of department in which trainer is licensed

This is to certify that Mr/Ms had undergone training with me in department/s <List of departments with check box> From <date> to <date> for a period of 12 months/6 months. During the process he/she learnt various aspects of <list of departments> for surveying and loss assessing.

During the period of training I found him/her hardworking, sincere, and understanding. In my opinion he/she is fully conversant with all the techniques of Survey and I wish him/her all the best in his/her all future career,

<Additional remark if any >

<Trainer Name & Signature>

SURVEYOR & LOSS ASSESSOR

SLA NO..... Date of Expiry.....

Membership No..... Level of Membership.....

FORM-IRDAI-17 AF

[See Regulation 3(4)(a)]

APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE
INDIVIDUAL SURVEYOR

Important Instructions:

Any change in the information submitted to the Authority must be informed to the Authority within 15 days from date of the change, (attach copies of documents as proof)

EXISTING DETAILS:

1.Name / Name of Firm/Company (*wherever applicable*).....

Remarks

2.SLA NO..... Expiry date..... Membership ID No..... Level of Membership.....

3.Present Address :

Address 1:

Address 2:

Address 3:

City/Town/Village : District: State:

Country:..... Pincode:

4.Remarks:.....

CHANGES BEING REQUESTED FOR:

1. Change in Licensee Name
2. Incorporation of Sole Proprietary firm's Name :
Name of Firm :
- Remarks:.....
3. Grant of Additional Departments :

Depts	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

4. Correction in the license already issued (where there is a tyrographical error in the license issued):
5. Change in level of Membership allotted by the Institute
From To.....(Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof)
6. Change in Personal information :
Phone No.(Res)Phone No. (Office):
Mobile No.e-mail:
Alternate e-mail: Remarks:

Signature of the applicant

Place.....

Date.....

FORM-IRDAI-18 AF**[See Regulation 4(6)(2)]****APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE CORPORATE SURVEYOR**

Important Instructions:

Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change, attach copies of documents as proof.

Select Modification Type

1. Name /Name of Firm/Company
Remarks
2. Corporate Surveyor License No..... Expiry date.....
3. Corporate/Registered Office Address :
Address 1: Address 2: Address 3:
City/Town/Village : District: State:
.....Country:..... Pincode:
Remarks:.....
4. Branch Office Address :
Address 1: Address 2: Address 3:
City/Town/Village : District: State:

- Country:.....Pincode: Remarks:.....
5. Change in Director/Partner Details :
 Add new Director/Partner Remove existing Director/ Partner Modify existing Director/ Partner
6. Change in employee :
 Add new employee/s Remove existing employee/s
 Change in Share holding pattern and Promoter(s)
7. Correction in the license already issued (where there is a tyrographical error in the license issued):
8. Change in the level of Membership allotted by the Institute to the director(s)/partner(s)
 From To.....(Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof)
 Opening of branch offices/any other office by corporate surveyor
9. Change in Personal information :
 Phone No.(Res) Phone No. (Office): Mobile No.
 e-mail: Alternate e-mail:
 Remarks:

Signature of the director/partner

Seal of the company

Date

Place:

T.S. VIJAYAN, Chairman
 [ADVT. III /4/Exty/161/15]